

105

इसे वेबसाइट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 511 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 नवम्बर 2011—अग्रहायण 4, शक 1933

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 नवम्बर 2011

क्रमांक एफ-2-10/2011/1/34— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल एतद्वारा, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (अराजभरित) सेवा (सेवा की शर्त तथा भरती) नियम, 1976 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची 1, 2, 3, एवं 4 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाए, अर्थात्



अनुसूची एक  
(नियम-5 देखिए)  
(वर्गीकरण, पदों की संख्या एवं वेतनमान)

अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	उपयंत्री (सिविल)	974	स्टेटवाइड केडर (अराजपत्रित)	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	प्रमुख अभियंता
2.	उपयंत्री(वि./यां.)	263	--तदैव--	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	--तदैव--
3.	सर्वेयर/ आर्टिफिसर/ सब आर्टिफिसर	14	--तदैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
4.	रिंग आपरेटर (इलेक्टिकल)	08	--तदैव--	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता (वि./यां.)
5.	सहायक रिंग आपरेटर	08	--तदैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
6.	ड्रिलर	10	--तदैव--	रु. 5200-20200+2400 ग्रेडपे	--तदैव--
7.	मुख्य मानचित्रकार	11	--तदैव--	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	प्रमुख अभियंता
8.	मानचित्रकार	61	--तदैव--	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	--तदैव--
9.	सहायक मानचित्रकार	66	--तदैव--	रु. 5200-20200+2400 ग्रेडपे	--तदैव--
10.	अनुरेखक	09	--तदैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तदैव--
11.	मुख्यालय अधीक्षक	04	--तदैव--	रु. 9300-34800+3600 ग्रेडपे	--तदैव--



अनु क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12.	मण्डल अधीक्षक	17	स्टेटवाइड केडर	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	प्रमुख अभियंता
13.	सहायक ग्रेड-1 (स्टेटवाइड)	19	---तदैव---	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	-तदैव-
14.	सहायक ग्रेड-1 (नान स्टेटवाइड)	26	नान स्टेटवाइड केडर	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	-तदैव-
15.	वरिष्ठ निज सहायक (शीघ्रलेखक ग्रेड-1)	10	स्टेटवाइड केडर अराजपत्रित	रु. 9300-34800+4200 ग्रेडपे	-तदैव-
16.	निज सहायक (शीघ्रलेखक ग्रेड-2)	18	---तदैव---	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	-तदैव-
17.	शीघ्रलेखक ग्रेड-3	60	---तदैव---	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	-तदैव-
18.	स्टेनोग्राफिस्ट	05	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
19.	लेखापाल	01	---तदैव---	रु. 5200-20200+2400 ग्रेडपे	-तदैव-
20.	सहायक ग्रेड-2 (स्टेटवाइड)	29	---तदैव---	रु. 5200-20200+2400 ग्रेडपे	-तदैव-
21.	सहायक ग्रेड-3 (स्टेटवाइड)	68	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
22.	सहायक ग्रेड-2 (नानस्टेटवाइड)	388	नॉनस्टेटवाइड केडर	रु. 5200-20200+2400 ग्रेडपे	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
23.	सहायक ग्रेड-3 (नानस्टेटवाइड)	493	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
24.	संभागीय लेखापाल	50	स्टेटवाइड केडर अराजपत्रित	रु. 9300-34800+3200 ग्रेडपे	महालेखाकार
25.	रसायनज्ञ	12	---तदैव---	रु. 5200-20200+2800 ग्रेडपे	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता
26.	सहायक रसायनज्ञ	05	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
27.	अनुसंधान सहायक	02	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
28.	मैकेनिक	14	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
29.	इलेक्ट्रीशियन	03	स्टेटवाइड केडर अराजपत्रित	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	मुख्य अभियंता संबंधित परिक्षेत्र
30.	इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन	02	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
31.	फिटर	05	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-
32.	फिल्टर इंस्पेक्टर / रसायनज्ञ	01	---तदैव---	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	-तदैव-



अनु. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33.	शिफ्ट चालक	36	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तद्वैव--
34.	प्लम्बर	03	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तद्वैव--
35.	फिल्टर आपरेटर	08	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तद्वैव--
36.	पाईप फिटर	04	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+2100 ग्रेडपे	--तद्वैव--
37.	शिफ्ट फिटर	02	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तद्वैव--
38.	एयर कम्प्रेसर आपरेटर (ड्रायवर्स)	15	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+2100 ग्रेडपे	--तद्वैव--
39.	फिल्टर अटेन्डेन्ट	19	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तद्वैव--
40.	पंप अटेन्डेन्ट	24	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+2100 ग्रेडपे	--तद्वैव--
41.	वैल्डर	06	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+1900 ग्रेडपे	--तद्वैव--
42.	हैण्डपंप तकनीशियन	913	--तद्वैव--	रु. 5200-20200+2100 ग्रेडपे	--तद्वैव--



अनुसूची - दो  
(नियम-6 (2) देखिए)

विभाग का नाम	सेवा का पद नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत			विभागीय चयन समिति	अभियुक्तियों
			सीधी भरती द्वारा नियम 6(1) (क)	सेवा के सदस्यों को पदोन्नति द्वारा नियम 6 (1) (ख)	अन्य सेवा से व्यक्तियों के अस्थायी स्थानांतरण द्वारा		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपयंत्री (सिविल)	974	90 प्रतिशत	5 प्रतिशत *1 5 प्रतिशत *2	-	1. मुख्य अभियंता- अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य- 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य - सचिव	*1 उपयंत्री (सिविल) के 5 प्रतिशत पद आर्टिफिसर, उप आर्टिफिसर तथा सर्वेयर और नियमित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों जो सिविल इंजीनियरिंग में उपाधि/3 वर्षीय डिप्लोमा तथा उक्त पदों पर 10 वर्ष का कार्यानुभव रखते हैं की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। *2 उपयंत्री के 5 प्रतिशत पद अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार तथा अन्य तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिनके पास सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय/पार्ट टाइम डिप्लोमा एवं पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, की सीमित परीक्षा आयोजित कर भरे जाएंगे।
	उपयंत्री (वि./या.)	263	90 प्रतिशत	5 प्रतिशत *1 5 प्रतिशत *2	-	1. मुख्य अभियंता- अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य- 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य- 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी -सदस्य - सचिव	*1 उपयंत्री (वि. एवं या.) के 5 प्रतिशत पद आर्टिफिसर, उप आर्टिफिसर तथा सर्वेयर और नियमित स्थापना में कार्यरत कर्मचारियों जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उपाधि/3 वर्षीय डिप्लोमा तथा उक्त पदों पर 10 वर्ष का कार्यानुभव रखते हैं की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। *2 उपयंत्री के 5 प्रतिशत पद अनुरेखक/सहायक मानचित्रकार/मानचित्रकार तथा अन्य तकनीकी पद पर कार्यरत कर्मचारियों जिनके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय/पार्टटाइम डिप्लोमा एवं पद पर न्यूनतम 10 वर्ष का कार्यानुभव हो, की सीमित परीक्षा आयोजित कर भरे जाएंगे।



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सर्वेयर / आर्टिफिसर / सब आर्टिफिसर	14	—	100 प्रतिशत	—	—तदैव—	
	रिग आपरेटर (इलेक्ट्रिकल)	08	—	100 प्रतिशत	—	1.अधीक्षण यंत्री (वि. /यां.) -अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री(वि. /यां.) सदस्य	
	सहायक रिग आपरेटर	08	—	100 प्रतिशत	—	1.अधीक्षण यंत्री (वि. /यां.) -अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री(वि. /यां.) सदस्य	
	ड्रिलर	10	—	100 प्रतिशत	—	1.अधीक्षण यंत्री (वि. /यां.) -अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री(वि. /यां.) सदस्य	
	मुख्य मानचित्रकार	11	—	100 प्रतिशत	—	1.मुख्य अभियंता-अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3.अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	मानचित्रकार	61	—	100 प्रतिशत	—	—तदैव—	
	सहायक मानचित्रकार	66	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	—	—तदैव—	सहायक मानचित्रकार के 50 प्रतिशत पद अनुरेखकों की पदोन्नति से भरे जाएँ
	अनुरेखक	09	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	हैण्डपंप तकनीशियन	913	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय (स्टेंट वाईज केडर)							
	मुख्यालय अधीक्षक	04	—	100 प्रतिशत	—	1.मुख्य अभियंता-अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3.अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	मण्डल अधीक्षक	17	—	100 प्रतिशत	—	—तदैव—	



	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग	सहायक ग्रेड-एक (स्टेटवाइड/नॉन स्टेटवाइड)	19+26	-	100 प्रतिशत	-	1. मुख्य अभियंता-अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	मुख्य कार्यालय के सहायक के पद लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-दो की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, मण्डल कार्यालय के सहायक ग्रेड-एक के पद सहायक ग्रेड-दो (नॉन स्टेटवाइड केडर) की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे, जिन्होंने सुपीरियर क्लर्क परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	सहायक ग्रेड-2 / लेखापाल (स्टेटवाइड)	29+1	-	100 प्रतिशत	-	—तदैव—	सहायक ग्रेड-दो/लेखापाल के पद सहायक ग्रेड-3 की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे
	सहायक ग्रेड-3 (स्टेटवाइड)	68	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	—तदैव—	सहायक ग्रेड-तीन के 25 प्रतिशत पद चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों से भरे जायेंगे जिन्होंने (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	वरिष्ठ निज सहायक	10	-	100 प्रतिशत	-	—तदैव—	
	निज सहायक	18	-	100 प्रतिशत	-	—तदैव—	
	शीघ्रलेखक	59	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	—तदैव—	शीघ्रलेखक के 25 प्रतिशत पद स्टेनोग्राफिस्ट की पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे।
	स्टेनोग्राफिस्ट	05	100 प्रतिशत			तदैव	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तृतीय श्रेणी लिपिकवर्गीय (नानस्टेट वाईज केडर)							
	सहायक ग्रेड-2 (नॉन स्टेडवाईड केडर)	388	-	100 प्रतिशत	-	1. अधीक्षण यंत्री -अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री -सदस्य 3. सहायक यंत्री - सदस्य	
	सहायक ग्रेड-3 (नॉन स्टेडवाईड केडर)	493	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत	-	1. अधीक्षण यंत्री -अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री -सदस्य 3. सहायक यंत्री - सदस्य	सहायक ग्रेड-तीन के 25 प्रतिशत पद उन चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों से भरे जाएंगे जिन्होंने (10+2) पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण की हो।
	संभागीय लेखापाल	50	-	-	-	-	अस्थायी आधार पर महालेखाकार मध्यप्रदेश द्वारा नियुक्त किये जावेंगे।
	रसायनज्ञ	12	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	-	1. अधीक्षण यंत्री -अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री -सदस्य 3. सहायक यंत्री - सदस्य	रसायनज्ञ के 50 प्रतिशत पद उन सहायक रसायनज्ञ द्वारा भरे जाएंगे जिन्होंने बी०एस०सी० (रसायनशास्त्र तथा प्राणि विज्ञान) परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा सहायक रसायनज्ञ के पद पर 3 वर्ष पूर्ण कर लिये हो।
	सहायक रसायनज्ञ	05	100%	-	-	---तदैव---	
	प्रयोगशाला सहायक	02	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	इलेक्ट्रीशियन	03	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	मैकेनिक	14	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन	02	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	फिटर	05	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	फिल्टर इन्स्पेक्टर / रसायनज्ञ	01	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	शिफ्ट चालक	36	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	प्लम्बर	03	100 प्रतिशत	-	-	---तदैव---	
	फिल्टर आपरेटर	08	-	100 प्रतिशत	-	---तदैव---	फिल्टर आपरेटर का पद फिल्टर अटेंडेंट के पद से पदोन्नति द्वारा भरा जायेगा।



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	पाईप फिटर	04	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	शिफ्ट-फिटर	02	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	फिल्टर अटेंडेन्ट	19	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	पंप अटेंडेन्ट	24	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	वैल्डर	06	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	
	एयर कम्प्रेसर आपरेटर	15	100 प्रतिशत	—	—	—तदैव—	

- नोट :- 1. विभागीय पदोन्नति समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा।  
 2. सीधी भर्ती हेतु चयन समिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होगा एवं एक सदस्य अन्य पिछड़े वर्ग का होगा।



अनुसूची - तीन  
(नियम-8 देखिए)

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपयंत्री (सिविल)	18 वर्ष	35 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनिरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा	
	उपयंत्री (वि.यो.)	18 वर्ष	35 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल / इलेक्ट्रीकल इंजीनिरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा	
	स्टेनोटायपिस्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन तथा शीघ्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण	
	सहायक ग्रेड-3	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण	
<b>तृतीय श्रेणी - अन्य</b>					
	रसायनज्ञ	18 वर्ष	35 वर्ष	बी.एस.सी. रसायन शास्त्र एक विषय के रूप में (वाटर सीवेज तथा इन्डस्ट्रीयल वेस्ट परीक्षण का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को अधिमान्यता दी जावेगी।	
	सहायक रसायनज्ञ	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा रसायन विषय के साथ उत्तीर्ण।	
	प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा रसायन विषय के साथ उत्तीर्ण।	
	मैकेनिक	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र	
	इलेक्ट्रीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन ट्रेड में प्रमाण पत्र।	
	इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन	18 वर्ष	35 वर्ष	—तदेव—	
	फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड में प्रमाण पत्र।	
	फिल्टर इंस्पेक्टर / रसायनज्ञ	18 वर्ष	35 वर्ष	बी.एस.सी. (रसायनशास्त्र तथा प्राणि विज्ञान के साथ) प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण	
	शिफ्ट चालक	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र।	



सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	35 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार अधिदर्शक उप-अधिदर्शक पाठ्यक्रम या वास्तुकला में डिप्लोमा या ड्राफ्टमेंट ट्रेड में प्रमाण पत्र ।
अनुरेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण
तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीयः			
शीघ्रलेखक	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं म.प्र.शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से शीघ्रलेखन/ मुद्रलेखन का प्रमाण पत्र तथा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण
हैण्डपंप तंकनीशियन	18 वर्ष	35 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर, ट्रेड में प्रमाण पत्र ।
प्लम्बर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।
पाईप फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।
शिफ्ट फिटर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से फिटर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।
पंप अटेंडेन्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण पत्र ।
फिल्टर अटेंडेन्ट	18 वर्ष	35 वर्ष	तदैव
फिल्टर ऑपरेटर	18 वर्ष	35 वर्ष	तदैव
वेल्डर	18 वर्ष	35 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से वेल्डर ट्रेड में प्रमाण पत्र ।
एयर कम्प्रेसर ड्रायवर	18	35	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था से मशीनिस्ट ट्रेड में प्रमाण पत्र ।



(अनुसूची -- चार)  
(नियम-13 देखिए)

विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता की न्यूनतम अनुभव अवधि	पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	सर्वेयर/ सब आर्टिफिसर	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा	उपयंत्री	1. अधीक्षण यंत्री अध्यक्ष 2. कार्यपालन यंत्री (वि./यां.)- सदस्य 3. सहायक यंत्री सदस्य	
	रिग आपरेटर (विद्युत)	राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा (पत्रोपाधि)	उपयंत्री	---तदैव---	
	सहायक रिग-आपरेटर	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं आठ वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव या 80,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव या (2) (10+2) पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण तथा ड्रिलिंग कार्य का 6 वर्ष का अनुभव या 60,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव या (3) औद्योगिक संस्थान का प्रमाण-पत्र तथा ड्रिलिंग में चार वर्ष अनुभव या 40,000 फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव या (4) मैकेनिकल इंजीनियरिंग / ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा तथा ड्रिलिंग में एक वर्ष का अनुभव या 10,000 फुट फास्ट रिग पर ड्रिलिंग का अनुभव।	रिग आपरेटर	---तदैव---	
	ड्रिलर	ड्रिलर के पद पर 5वर्ष का अनुभव एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी पढ़ने की योग्यता तथा माइक्रोमीटर एवं वर्नीयर केलिपर्स पढ़ने का भी ज्ञान तथा ऑयल के ग्रेडर्स जानने की क्षमता।	रिग आपरेटर	---तदैव---	



विभाग का नाम	उस पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता की न्यूनतम अनुभव अवधि	पद का नाम जिस पद पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	मानचित्रकार	मानचित्रकार में पाँच वर्ष का अनुभव	मुख्य मानचित्रकार	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) - सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) - सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव	
	सहायक मानचित्रकार	पाँच वर्ष की सेवा तथा (सिविल/मैकनिकल) इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मानचित्रकार का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम	मानचित्रकार	---तदैव---	
	अनुरेखक	5 वर्ष की सेवा	सहायक मानचित्रकार	---तदैव---	
<b>तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय)</b>					
	मंडल अधीक्षक	5 वर्ष	मुख्यालय अधीक्षक	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) - सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) - सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी - सदस्य सचिव	



विभाग का नाम	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	अगले उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हता की न्यूनतम अनुभव अवधि	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम-13 देखिए)	अभ्युक्तियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	निज सहायक	5 वर्ष	वरिष्ठ निज सहायक	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) - सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) - सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	शीघ्रलेखक	5 वर्ष	निज सहायक	---तदैव---	
	स्टेनोग्राफिस्ट सहायक ग्रेड-एक.	5 वर्ष	शीघ्रलेखक मण्डल अधीक्षक	---तदैव---	
	लेखापाल एवं सहायक ग्रेड-दो (स्टेट वाईड)	5 वर्ष तथा सुपिरियर क्लर्क परीक्षा उत्तीर्ण	सहायक ग्रेड-एक (प्रमुख अभियंता, मुख्य अभियंता कार्यालय में)	1. मुख्य अभियंता अध्यक्ष 2. अधीक्षण यंत्री (रूपांकन) - सदस्य 3. अधीक्षण यंत्री (प्रशा.) - सदस्य 4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सदस्य सचिव	
	सहायक ग्रेड-दो (नॉन स्टेट वाईड)	5 वर्ष तथा सुपिरियर क्लर्क परीक्षा उत्तीर्ण	सहायक ग्रेड-एक मण्डल कार्यालय	---तदैव---	
	सहायक ग्रेड-तीन (स्टेट वाईड)	5 वर्ष	सहायक ग्रेड-दो / लेखापाल	---तदैव---	
	सहायक ग्रेड-3 (नॉन स्टेट वाईड)	5 वर्ष	अधीक्षण यंत्री कार्यालय का सहायक ग्रेड-दो)	---तदैव---	
	सहायक रसायनज्ञ	5 वर्ष बी.एस.सी. (रसायन-शास्त्र विषय के साथ) वाटर सीवेज तथा औद्योगिक वेस्ट परीक्षण का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को अधिमार्गता दी जाएगी।	रसायनज्ञ	---तदैव---	
	फिल्टर अटेंडेंट	5 वर्ष	फिल्टर आपरेटर	---तदैव---	



119

No.F-2-10/2011/1/34-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service (Conditions of service and Recruitment) Rules, 1976, namely:

AMENDMENTS

In the said rules, for Schedule 1,2,3 and 4, the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE-I

(See rule-5)

(Classification, Number of posts and Payscale)

S.No.	Name of the post included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1-	Sub Engineer (Civil)	974	Statewide cadre (Non Gazetted)	Rs. 9300-34800+3200 grade pay	Engineer-In-Chief
2-	Sub Engineer (E & M)	263	-do-	Rs. 9300-34800+3200 grade pay,	-do-
3-	Surveyor, Artificer, Sub-Artificer	14	-do-	Rs. 5200-20200+1900 grade pay	-do-
4-	Rig Operator (Electrical)	8	-do-	Rs. 9300-34800+3200 grade pay	Chief Engineer (E and M)
5-	Assistant Rig Operator	8	-do-	Rs. 5200-20200+1900 grade pay	-do-
6-	Driller	10	-do-	Rs. 5200-20200+2400 grade pay	-do-
7-	Head Draughtman	11	-do-	Rs. 9300-34800+3200 grade pay	Engineer-In-Chief
8-	Draughtman	61	-do-	Rs. 9300-34800+3200 grade pay	-do-
9-	Assistant Draughtman	66	-do-	Rs. 5200-20200+2400 grade pay	-do-
10-	Tracer	9	-do-	Rs. 5200-20200+1900 grade pay	-do-
11-	Head Office Superintendent	4	-do-	Rs. 9300-34800+3600 grade pay	-do-
12-	Circle Superintendent	17	-do-	Rs. 9300-34800+3200 grade pay	-do-



S.No.	Name of the post included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13-	Assistant grade-I (Statewide)	19	-do-	Rs.5200-20200+2800 gradepay	-do-
14-	Assistant grade-I (NonStatewide)	26	Non-Statewide cadre	Rs. 5200-20200+2800 gradepay	-do-
15-	Senior Personal Assistant(Stenographer grade-I)	10	Statewide cadre Non Gazetted	Rs. 9300-34800+4200 gradepay	-do-
16-	Personal Assistant(Stenographer grade-II)	18	-do-	Rs. 9300-34800+3200 gradepay	-do-
17-	Stenographer-III	60	-do-	Rs.5200-20200+2800 gradepay	-do-
18-	Stenotypist	5	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
19-	Accountant	1	-do-	Rs. 5200-20200+2400 gradepay	-do-
20-	Assistant grade-II(Statewide)	29	-do-	Rs. 5200-20200+2400 gradepay	-do-
21-	Assistant grade-III (Statewide)	68	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
22-	Assistant grade-II (NonStatewide)	388	Non Statewide cadre	Rs. 5200-20200+2400 gradepay	Zonal Chief Engineer
23-	Assistant grade-III (NonStatewide)	493	Non Statewide cadre	Rs.5200-20200+1900 gradepay	-do-
24-	Divisional Accountant	50	Statewide cadre Non Gazetted	Rs. 9300-34800+3200 gradepay	Accountant General
25-	Chemist	12	Statewide cadre Non-Gazetted	Rs.5200-20200+2800 gradepay	Zonal Chief Engineer
26-	Assistant Chemist	5	Non-Statewide cadre Non Gazetted	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
27-	Research Assistant	2	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
28-	Mechanic	14	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
29-	Electrician	03	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
30-	Electrician WireMan	02	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
31-	Fitter	05	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-



S.No.	Name of the post included in the Service	No. of Posts	Classification	Pay Scale	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
32-	Filter Inspector /Chemist	01	-do-	Rs.5200-20200+1900 gradepay	-do-
33-	Shift Driver	36	Non Statewide cadre Non-Gazetted	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	Zonal Chief Engineer
34-	Plumber	03	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
35	Filter Operator	08	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
36	Pipe Fitter	04	-do-	Rs. 5200-20200+2100 gradepay	-do-
37	Shift Fitter	02	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
38	Air Compressor Operator	15	-do-	Rs. 5200-20200+2100 gradepay	-do-
39	Filter Attendent	19	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
40	Pump Attendent	24	-do-	Rs. 5200-20200+2100 gradepay	-do-
41	Welder	06	-do-	Rs. 5200-20200+1900 gradepay	-do-
42	Hand Pump Technician	913	-do-	Rs. 5200-20200+2100 gradepay	-do-



**SCHEDULE-II**  
**(SEE RULE 6(2))**

Name of this Department	Name of the Post	No. of posts	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee	Remarks
			By direct recruitment	By promotion of members in service	By temporary transfer of persons from other service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Public Health Engineering Department.	Sub Engineer (Civil)	974	90%	5% 1* 5% 2**		1-Chief Engineer -Chairman 2. Superintending Engineer(Design) -Member 3- Superintending Engineer (Admn.)-Member 4- Chief Administrative Officer-Member-Secretary	*1. 5% post of Sub Engineer(civil) shall be filled up by promotion of employees working in the post of Artificer, Sub Artificer and Surveyor and employee in regular establishment with Degree/3 year diploma in Civil Engineering having experience of 10 years or the post. *2. 5% post of Sub-Engineer shall be filled by employees working or the post Tracer/Assistant Draughtman/Draughtman and other technical post with three year diploma in Civil Engineering /part time diploma in civil engineering with minimum of 10 years experience in the post by conducting limited examination.
	Sub Engineer (E and M)	263	90%	5% 1* 5% 2**		1-Chief Engineer -Chairman 2. Superintending Engineer(Design) -Member 3- Superintending Engineer (Admn.)-Member 4- Chief Administrative Officer-Member-Secretary	*1. 5% post of Sub Engineer(B&M) shall be filled up by promotion of employees working in the post of Artificer, Sub Artificer and Surveyor and employee in regular establishment with Degree / 3 year diploma in Mechanical/ - - - Engineering having experience of 10 years on the post.



Name of this Department	Name of the Post	No. of posts	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee	Remarks
			By direct recruitment	By promotion of members in service	By temporary transfer of persons from other service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							the post Tracer/Assistant Draughtman/Draughtman and other technical post with three year diploma in mechanical engineering/part time diploma in mechanical engineering with minimum of 10 years experience in the post by conducting limited examination.
	Surveyor Artificer, Sub Artificer	14		100%		-do-	
	Rig Operator (Electrical)	8	-	100%		1-Superintending Engineer(E and M)Chairman. 2- Executive Engineer (E and M)-Member	
	Assistant Rig Operator	8	-	100%	-	-do-	
	Driller	10	-	100%	-	-do-	
	Head Draughtman	11	-	100%	-	1-Chief Engineer -Chairman 2. Superintending Engineer(Design) -Member 3- Superintending Engineer (Admn.)-Member 4- Chief Administrative Officer-Member- Secretary	
	Draughtman	61	-	100%	-	-do-	



Name of this Department	Name of the Post	No. of posts	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee	Remarks
			By direct recruitment	By promotion of members in service	By temporary transfer of persons from other service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Assistant Draughtman	66	50%	50%	-	-do-	50% Posts of Assistant Draughtman. will be filled up by Promotion from the post of Tracers.
	Tracer	9	100%	-	-	-do-	-
	Hand Pump Technician	913	100%	-	-	-do-	-
<b>Class-III Ministerial (Statewide Cadar)</b>							
	Head office Superintendent	4	-	100%	-	-do-	1-Chief Engineer -Chairman 2. Superintending Engineer(Design) -Member 3- Superintending Engineer (Admn.)-Member 4- Chief Administrative Officer-Member-Secretary
	Circle Superintendent	17	-	100%	-	-do-	-
	Assistant Grade-I (Statewide/Non Statewide)	19+26	-	100%	-	-do-	Post of Head Office Assistants Grade-I shall be filledup by promotion of Accountant and Assistant Grade-II. Post of Assistant of Circle Office shall be filled up by promotion of Assistant Grade-2(Non State wide cadar), who have passed Superior Clerk ship Examination.
	Assistant Grade-II (Accountant) (Statewide)	29+1	-	100%	-	-do-	Post of Assistant Grade-II/ Accountants shall be filled up by Promotion of Assistant Grade-III
	Assistant Grade-III (Statewide)	68	75%	25%	-	-do-	25% Post of Assistant Grade-III shall be filled up by IVth class regular employees who have passed 10+2 Exam and Passed Computer examination from recognised Institute.



125

Name of this Department	Name of the Post	No. of posts	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee	Remarks
			By direct recruitment	By promotion of members in service	By temporary transfer of persons from other service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Senior Personal Assistant	10	-	100%	-	-do-	
	Personal Assistant	18	-	100%	-	-do-	
	Stenographer	59	75%	25%	-	-do-	25% Posts of Stenographer shall be filled-up by promotion of Steno Typists.
	Stenotypist	5	100%	-	-	-do-	
<b>Class-III Ministerial(Non Statewide-Cadar)</b>							
	Assistant Grade-II (NonStatewide)	388	-	100%	-	1 Superintending Engineer-Chairman 2- Executive Engineer-Member 3-Assistant Engineer-Member	
	Assistant Grade-III (NonStatewide)	493	75%	25%	-	1 Superintending Engineer-Chairman 2- Executive Engineer-Member 3-Assistant Engineer-Member	25% Posts of Assistant Grade-III shall be filledup by IVth class regular employees who have passed 10+2 after Examination and have passed computer examination from recognized Institution.
	Divisional Accountant	50	-	-	-		Appointed by A.G.M.P. on temporary basis.
	Chemist	12	50%	50%	-	1 Superintending Engineer-Chairman 2- Executive Engineer-Member 3-Assistant Engineer-Member	50% Posts of Chemist shall be filled up by the Assistant Chemists Who have passed B.Sc.(Chemistry and Zoology) and have completed 3 years on the post of Assistant Chemist.



Name of this Department	Name of the Post	No. of posts	Percentage of posts to be filled in			Departmental Selection Committee	Remarks
			By direct recruitment	By promotion of members in service	By temporary transfer of persons from other service		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Assistant Chemist	5	100%	-	-	-do-	
	Laboratory Assistant	2	100%	-	-	-do-	
	Electrician	3	100%	-	-	-do-	
	Mechanic	14	100%	-	-	-do-	
	Electrician/Wireman	2	100%	-	-	-do-	
	Fiter	5	100%	-	-	-do-	
	Filter Inspector/Chemist	1	100%	-	-	-do-	
	Shift Driver	36	100%	-	-	-do-	
	Plumber	3	100%	-	-	-do-	
	Filter Operator	8	-	100%	-	-do-	Post of filter operators shall be filled up by promotion from the post of Filter Attendants.
	Pipe fiter	4	100%	-	-	-do-	
	Shift fiter	2	100%	-	-	1 Superintending Engineer-Chairman 2- Executive Engineer-Member 3-Assistant Engineer-Member	
	Filter Attendent	19	100%	-	-	-do-	
	Pump Attendent	24	100%	-	-	-do-	
	Welder	6	100%	-	-	-do-	
	Air Compressor Operator	15	100%	-	-	-do-	

N.B. (i) In Departmental Promotion Committee one member will be from Schedule castes/Schedule tribe Category.

(ii) In Selection committee for direct recruitment, one member will be from Schedule castes/Schedule tribe category and one member will be from other backward class.



SCHEDULE-III  
(See rule-8)

Name of Department	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Public Health Engg. Deptt.	Sub Engineer (Civil)	18 Years	35 Years	Three years Diploma in Civil Engineering from an Institution recognised by the State Government.	
	Sub Engineer (E&M)	18 Years	35 Years	Three years Diploma in Mechanical//Electrical Engineering from an Institution recognised by the State Government.	
	Surveyor, Artificer, Sub Artificer	18 Years	35 Years	Three years Diploma in Mechanical//Electrical Engineering from an Institution recognised by the State Government.	
	Steno typist	18 Years	35 Years	Passed Higher Secondary 10+2 pattern examination and a certificate of Shorthand and Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting also Passed examination of Computer course from recognised Institute.	
	Assistant Grade-III	18 Years	35 Years	Passed Higher Secondary 10+2 pattern examination and a certificate of Shorthand and Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting also Passed examination of Computer course from recognised Institute.	
<b>Class-III &amp; Others</b>					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Chemist	18 Years	35 Years	B.Sc.(with Chemistry as a subject) preference will be given to the candidate having experience of water sewage and industrial waste testing.	
	Assistant Chemist	18 Years	35 Years	Must have passed Higher Secondary 10+2 pattern with Chemistry as one of the subjects.	
	Lab Assistant	18 Years	35 Years	Must have passed Higher Secondary 10+2 pattern with Chemistry as one of the subjects.	
	Mechanic	18 Years	35 Years	Trade Certificate in mechanical trade from Industrial Training Institute.	



Name of Department (1)	Name of Post (2)	Minimum Age limit (3)	Maximum Age limit (4)	Prescribed Educational Qualification (5)	Remark (6)
	Electrician	18 Years	35 Years	A Trade certificate in Electrician/Wireman Trade from Industrial Training Institute.	
	Electrician/Wireman	18 Years	35 Years	-do-	
	Fitter	18 Years	35 Years	A Certificate in fitter trade from Industrial Training Institute.	
	Filter Inspector/Chemist	18 Year	35 Year	B.Sc. (Chemistry and Zoology) Passed with First division.	
	Shift Driver	18 Year	35 Year	Trade Certificate in mechanical trade from Industrial Training Institute.	
	Assistant Draughtman	18 Year	35 Year	Diploma in Drawing, Overseer, Sub Overseer course from any Institute recognised by the State Government or Diploma in Architect or Draftsmanship Trade Certificate from Industrial Training Institute.	
	Tracer	18 Year	35 Year	Passed Higher Secondary 10+2 pattern passed and elementary and secondary drawing examination passed.	
<b>Class-III Ministerial</b>					
	Stenographer	18 Year	35 Year	Higher Secondary 10+2 pattern examination passed and certificate of Shorthand and Typing from the Madhya Pradesh Board of Shorthand and Typewriting. Passed Computer course from recognised Institute.	
	Handpump Technician	18 Year	35 Year	Passed Higher Secondary 10+2 pattern examination, Certificate of Fitter trade from Industrial Training Institute	
	Plumber	18 Year	35 Year	A certificate of plumber trade from Industrial Training Institute.	
	Pipe Fitter	18 Year	35 Year	Trade Certificate of Fitter trade from Industrial Training Institute.	
	Shift Fitter	18 Year	35 Year	Trade Certificate of Fitter trade from Industrial Training Institute.	



Name of Department	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pump Attendant	18 Year	35 Year	Trade certificate of Instrument Mechanic from Industrial Training Institute.	
	Filter Attendant	18 Year	35 Year	Trade certificate of Instrument Mechanic from Industrial Training Institute.	
	Welder	18 Year	35 Year	Trade Certificate in welder trade from Industrial Training Institute	
	Air Compressor Driver	18 Year	35 Year	Trade Certificate in Machinist Trade from Industrial Training Institute.	



**SCHEDULE-IV**  
(See rule 13)

Name of the Department	Name of post from which promotion is to be made.	Minimum experience period of eligibility for promotion to next higher post	Name of post to which promotion is to be made	Members of the Departmental Promotion Committee	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Public Health Engg. Deptt.	Surveyor/Sub Artificer	Three years Diploma in Civil Engineering from an Institution recognised by the State Government.	Sub-Engineer	1- Superintending Engineer-Chairman 2- Executive Engineer(E&M)-Member 3- Assistant Engineer-Member;	
	Rig Operator (Electrical)	Three year Diploma in Mech Engineering from an Institution recognised by the State Government.	Sub-Engineer	-do-	
	Assistant Rig Operator	(a) Class VIII passed and 8 years experience in drilling or experience of 80,000 feet of drilling on a fast rig; Or (b) 10+2 examination pass and six years experience in drilling or experience of 60,000 feet of drilling on a fast rig; Or (c) Certificate of Industrial Institute and 4 years experience in drilling or experience of 40,000 feet of drilling; Or (d) Three years Diploma of Mech Engg./Automobile Engineering and one year experience in drilling or experience of 10,000 feet on fast drilling rig.	Rig Operator	-do-	
	Driller	5 years experience on the post of driller and ability to read Hindi and English and also reading micrometer and vernier callipers and capacity to assess the grades of oil.	Rig Operator	-do-	
	Draughtman	Five years experience in Draughtman.	Head Draughtman	1- Chief Engineer - Chairman 2- Superintending Engineer(Design)-Member 3- Superintending Engineer(Admn.)-Member 4- Chief Administrative Officer-Member Secretary	



Name of the Department (1)	Name of post from which promotion is to be made (2)	Minimum experience period of eligibility for promotion to next higher post (3)	Name of post to which promotion is to be made (4)	Members of the Departmental Promotion Committee (5)	Remarks (6)
	Assistant Draughtman	Five Years service and three years diploma in(Civil/Mechanical) Engineering or two years course of draftsman from I.T.I.	Draughtman	-do-	
	Tracer	Five Year Service	Assistant Draughtman	-do-	
<b>Class-III(Clericle)</b>					
	Circle Superintendent	Five years	Head Office Superintendent	1-Chief Engineer - Chairman 2. Superintending Engineer(Design)-Member 3- Superintending Engineer(Admn.)-Member 4- Chief Administrative Officer-Member Secretary	
	Personal Assistant	Five years	Senior Personal Assistant	-do-	
	Stenographer	Five years	Personal Assistant	-do-	
	Stenotypist	Five years	Stenographer	-do-	
	Assistant grade-I	Five years	Circle Superintendent	-do-	
	Accountant / Assistant grade-II (Statewide)	Five years and Passed Superior Clerkship Exam	Assistant grade-I in the offices or E-In -C and C.E.'s	-do-	
	Assistant grade-II (Non Statewide)	Five years and Passed Superior Clerkship Exam	Assistant grade-I Circle Office	-do-	
	Assistant grade-III (Statewide)	Five years	Assistant grade-II/ Accountant	1-Chief Engineer - Chairman 2. Superintending Engineer(Design)-Member 3- Superintending Engineer(Admn.)-Member 4- Chief Administrative Officer-Member Secretary	



Name of the Department	Name of post from which promotion is to be made	Minimum experience period of eligibility for promotion to next higher post	Name of post to which promotion is to be made	Members of the Departmental Promotion Committee	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Assistant grade-III (Non Statewide)	Five years	Assistant grade-II Office of Superintending Engineer.	-do-	
	Assistant Chemist	Five years B.Sc. (with Chemistry as a subject) preference will be given to the candidate having experience of water sewage and industrial waste testing.	Chemist	-do-	
	Filter Attendant	Five years experience	Filter Operator	-do-	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एल. अहिरवार, उपसचिव.



133  
आश्विन  
शुक्रवार

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 41]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 11 अक्टूबर 2013—आश्विन 19, शक 1935

## भाग ४

### विषय-सूची

- |     |                        |                               |                                  |
|-----|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| (क) | (1) मध्यप्रदेश विधेयक, | (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, | (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक. |
| (ख) | (1) अध्यादेश,          | (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,       | (3) संसद् के अधिनियम.            |
| (ग) | (1) प्रारूप नियम,      | (2) अन्तिम नियम.              |                                  |

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2013

क्र. एफ-2-10-2011-1-चौतीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अराजपत्रित सेवा (सेवा की शर्तें तथा भरती) नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में,

1. नियम 8 में,—

(1) उप-नियम (1) में, खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात् :—

(क) उसने चयन प्रारम्भ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची तीन के कालम (3) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो, किन्तु उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथाविनिर्दिष्ट आयु पूर्ण न की हो;



- (ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;
- (ग) उस अभ्यर्थी के संबंध में जो मध्यप्रदेश सरकार का कर्मचारी है या कर्मचारी रह चुका है, उच्चतर आयु सीमा नीचे विनिर्दिष्ट की गई शर्तों तथा सीमा के अध्यक्षीन रहते हुए शिथिलनीय होगी :—
- (एक) ऐसा अभ्यर्थी जो अस्थायी या स्थायी शासकीय सेवक है 45 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, यह रियायत आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों और परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;
- (दो) ऐसा अभ्यर्थी को, जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

**स्पष्टीकरण :** पद "छंटनी किया गया सरकारी सेवक" से द्योतक है ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की सरकारी सेवा में अथवा किन्हीं संघटक इकाइयों की अस्थायी सरकारी सेवा में कम से कम छह मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रीकरण कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्ण स्थापना में कमी किए जाने के कारण सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो."

- (2) खण्ड (च) के उप-खण्ड (तीन) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पणी अन्तःस्थापित की जाए, अर्थात् :—

**"टिप्पणी :** (1) समस्त छूट को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(2) अधिकतम आयु सीमा की गणना सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी-03-11-12-1-3, दिनांक 3 नवम्बर 2012 तथा 20 नवम्बर 2000 के अनुसार की जाएगी."

2. विद्यमान अनुसूची तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

विभाग का नाम	पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	उपयंत्री (सिविल)	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	—
	उपयंत्री (वि./यां.)	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से मैकेनिकल/ इलेक्ट्रीकल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	
	स्टेनोग्राफिस्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	हायर सेकेण्डरी, (10+2) प्रणाली से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से मुद्रलेखन का प्रमाण-पत्र तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड, आई.टी.आई. या किसी अन्य मान्यताप्राप्त संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रतिमिनिट की गति से उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र तथा	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-----	-----	-----	-----	-----	-----

निम्नलिखित में से किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण,—

- (1) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.
- (2) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.
- (3) डी ओ ई ए सी सी से डिप्लोमा लेवल परीक्षा
- (4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम.

सहायक ग्रेड-तीन 18 वर्ष 40 वर्ष

हायर सेकेण्डरी, (10+2) प्रणाली से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से मुद्रलेखन उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र तथा निम्नलिखित में से किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण,—

- (1) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.
- (2) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.
- (3) डी ओ ई ए सी सी से डिप्लोमा लेवल परीक्षा
- (4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम.

#### तृतीय श्रेणी तथा अन्य

रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. (रसायन शास्त्र के साथ एक विषय के रूप में) वाटर सीवेज तथा इण्डस्ट्रियल वेस्ट परीक्षण का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को अधिमानता दी जाएगी.
सहायक रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा रसायन शास्त्र के साथ एक विषय के रूप में उत्तीर्ण.
प्रयोगशाला सहायक	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा रसायन शास्त्र के साथ एक विषय के रूप में उत्तीर्ण.
मैकेनिक	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर/ मैकेनिक/ डीजल मैकेनिक/ मोटर मैकेनिक मशीनिष्ट ट्रेड में उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र.
इलेक्ट्रीशियन	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/ वॉयरमेन ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.		
फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.		
फिल्टर इंस्पेक्टर/रसायनज्ञ	18 वर्ष	40 वर्ष	बी.एस.सी. रसायनशास्त्र तथा प्राणी विज्ञान के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण.		
शिफ्ट चालक	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में ट्रेड प्रमाण-पत्र.		
सहायक मानचित्रकार	18 वर्ष	40 वर्ष	राज्य शासन द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से चित्रकार अधिदर्शक, उप-अधिदर्शक पाठ्यक्रम या वास्तुकला में डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से ड्राफ्टमेन ट्रेड में प्रमाण-पत्र.		
अनुरेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण.		
<b>तृतीय श्रेणी लिपिक वर्गीय</b>					
शीघ्रलेखक	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड से मुद्रलेखन का प्रमाण-पत्र तथा निम्नलिखित मान्यताप्राप्त संस्था से कम्प्यूटर परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र,—		
			(1) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.		
			(2) यूजीसी द्वारा मान्यताप्राप्त समस्त मुक्त विश्वविद्यालयों से डिप्लोमा.		
			(3) डी ओ ई ए सी सी से डिप्लोमा लेवल परीक्षा		
			(4) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय से माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट पाठ्यक्रम.		
हैण्डपम्प तकनीशियन	18 वर्ष	40 वर्ष	(10+2) पद्धति से हायर सेकेण्डरी 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर/ मैकेनिक/ मशीनिष्ट / टूल एण्ड डाय मेकर/ टर्नर ट्रेड में 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होने का प्रमाण-पत्र.		
प्लम्बर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्लम्बर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.		
पाईप फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.		



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	शिफ्ट फिटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से फिटर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	पम्प अटेन्डेन्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	फिल्टर अटेन्डेन्ट	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	फिल्टर आपरेटर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मैकेनिक ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	वेल्डर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से वेल्डर ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	
	एयर कम्प्रेसर ड्रायवर	18 वर्ष	40 वर्ष	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मशीनिष्ट ट्रेड में प्रमाण-पत्र.	

No. F-2-10-2011-1-XXXIV.,—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department Non-Gazetted Service (Conditions of Service and Recruitment) Rules, 1976, namely:—

#### AMENDMENTS

In the said rules,

1. in rule 8,—

(1) in sub rule (1), for clause (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:—

- “(a) He must have attained the age as specified in column (3) of Schedule III and have not attained the age as specified in column (4) of the said Schedule, on the first day of January next following the date of commencement of the selection;
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum 5 years if a candidate belongs to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes;
- (c) The upper age limit shall also be relaxable in respect of a candidate who is or has been an employee of Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—
- (i) A candidate who is a temporary or permanent Government servant should not be more than 45 years of age. This concession shall also be admissible to work charged employees and contingency paid employee and employees working in the Project Implementation Committee;
- (ii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years, even if it represents more than one spell, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit more than 3 years.



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 1977.

क्र. 788-6548-गैलीग-1-77.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राजपत्र एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं.

नियम

- 1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये नियम मध्यप्रदेश स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग ( अराजपतित ) सेवा (सेवा की शर्त) नियम, 1976 कहलायेंगे.
- (2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- 2. परिभाषाएँ:—इन नियमों में जब तक प्रयोग में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ प्रवेक्षित न हो,—
  - (क) सेवा के संदर्भ में, "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य अनुसूची एक के कालम (6) में विनिर्दिष्ट किये गये प्राधिकारी से है;
  - (ख) "नियुक्ति" से तात्पर्य अनुसूची दो तथा चार में तथा निरिष्ट विभागीय चयन/पदोन्नति समिति से है;
  - (ग) "मुख्य अभियंता" अर्थीशरण यंत्री, "कार्यपालन यंत्री", एवं "महायक यंत्री" से तात्पर्य उन अधिकारियों से है जो कि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग में तत्संबंधी प्रयोग के हैं;
  - (घ) "परीक्षा" से तात्पर्य नियम 11 के अधीन सेवा में भरती किये जाने के लिये ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षा से है;
  - (ङ) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;
  - (च) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;
  - (छ) "अनुसूची" से तात्पर्य इन नियमों में संलग्न सूची से है;
  - (ज) "अनुसूचित जातियाँ" तथा "अनुसूचित जनजातियाँ" का वही अर्थ होगा जो कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और (25) में उनके लिये प्रयुक्त किया गया है और ऐसी जातियों तथा जनजातियों से है जो इस रूप में शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाय;
  - (झ) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग ( अराजपतित ) सेवा से है;
  - (ञ) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है.

3. अंतरा तथा प्रवृत्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते बिना ये नियम इस सेवा के प्रत्येक सदस्य को लागू होंगे.

4. सेवाओं का पटल.—सेवा में नियुक्तिगत व्यक्ति होंगे.

- (1) इन नियमों के प्रारंभ के समय अनुसूची एक में उल्लिखित पदों पर मौखिक रूप से नियुक्त व्यक्ति;
- (2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये व्यक्ति; और
- (3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये व्यक्ति.

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसके वेतनमान तथा सेवा में प्रतिष्ठित पदों की संख्या तथा उसके लिये नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूची एक में अंकित उपबंधों के अनुसार होगी.

पदों का नाम सेवा में अधिलिखित पदों की संख्या में संशोधन समय पर किया जा सकता है.

6. भर्ती का तरीका:—(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में भर्ती नियुक्तियों का प्रारंभ निम्नलिखित प्राधिकारियों द्वारा होगा:—

- (क) परिपालन विभाग पर्यन्त अन्य पदों के लिये सेवा द्वारा;
- (ख) अनुसूची चार में वर्गीकृत पदों के लिये सेवा के मौखिक स्थानांतरण सदस्यों की पदावधि द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो इन सेवा के पूर्व पदों पर जा इस संबंध में उल्लिखित किये जाते, मौखिक हैमिया से प्राप्त किये गये हों.

(2) इन नियम (1) के खंड (क) प्रथम खंड (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय अनुसूची दो में उल्लिखित कर्तव्य पदों की संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन भरती का क्रिया भी विशेष अधिकारों के दोषान भरे जाने के लिये अधीन सेवा को किसी भी विशेष स्थिति या शर्तों की भरने के प्रयोजन के लिये कानून बनाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रयोग तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक प्रकार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निश्चित की जायेगी.

(4) इन नियम (1) में दी गई क्रिया कात के होने हुए भी मुख्य अभियंता की राय में सेवा का आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर उस मुख्य अभियंता शासन के शासक प्रशासन विभाग में अनुसूचित प्राधिकारों के बाद सेवा में भर्ती संबंधी उपबंधों को छोड़कर जिसका उक्त नियमों में उल्लेख किया गया है ऐसे पदों की भरती प्रयोजन से कराया जायेगा जो समय द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेशों द्वारा निर्धारित किये जायें.

7. सेवा में नियुक्ति.—इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में अनुसूचित प्राधिकारी द्वारा की जायेगी जो नियमों के अंतर्गत नियम 6 में उल्लिखित भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा किये गये होंगे.







शैक्षणिक अहंताएँ:—उम्मीदवार के पास सेवा के लिये वे निर्धारित शैक्षणिक अहंताएँ होनी चाहिये, जो कि अनुसूची-1 की तालिका में दर्शाई गई है.

(3) फीस:—उम्मीदवार को मूल्य भागीयता पत्रादि भरनी पड़ेगी फीस का भुगतान करना होगा.

9. निरहंता:—उम्मीदवार को और से अपनी उम्मीदवारों के लिये किसी भी माध्यम से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास: नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके चयन के संबंध में निरहंता के रूप में माना जायेगा.

10. नियुक्ति प्राधिकारी तथा समिति के विनिश्चय को प्रतिपत्ता:— इन के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय प्रतिष्ठान में होगा. परीक्षा के संबंध में किसी भी उम्मीदवार को पात्रता प्रपत्र प्रत्यक्ष के संबंध में समिति का निर्णय प्रतिष्ठान होगा और ऐसे किसी भी उम्मीदवार को जिसको प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया हो परीक्षा साक्षात्कार में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं होगी.

11. चयन:—प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा सीधी भरती:—

(1) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे मन्तव्यों में किया जायेगा जिनके लिये नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर प्रवर्धित करें.

(2) सेवा के लिये उम्मीदवारों का चयन समिति द्वारा उनके संस्था भेद करने के पश्चात् किया जायेगा.

(3) (क) निम्न श्रेणी शैक्षणिक और 25 प्रतिशत महापठकों एवं शीघ्रालेखकों को भरती प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा ऐसे मन्तव्यों से की जायेगी जो कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवर्धित की जाय.

(ख) परीक्षाएँ शासन द्वारा समय-समय पर प्रवर्धित जायेगा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सम्पन्न की जायेगी.

(4) (क) सीधी भरती के लिये उल्लेखित स्थानों में से 16 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत स्थान उम्मीदवारों के लिये प्रवर्धित करके अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित करे जायेंगे.

(ख) मन्तव्यों इतनी के लिये सीधी भरती हेतु सुचीन श्रेणी सेवा के प्रतियोगितात्मक स्थान सुरक्षित रहे जायेंगे वरन् कि कुल सुरक्षित स्थान: किसी भी समय 50 प्रतिशत रिवत स्थान से अधिक न हो.

(5) इस प्रकार रक्षित स्थानों को भरती समय अनुसूचित जाति (अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन हेतु प्रवर्धित जायेंगे) के लिये निर्दिष्ट सूची में प्रत्येक उम्मीदवारों के लिये प्रवर्धित किया जायेगा किन्तु उम्मीदवारों की संख्या में उक्त मन्तव्यों स्थान कुछ भी नहीं रहेगी.

(6) प्रशासन दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखने हेतु इन में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा चयन हेतु अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार, उप नियम (1) के प्रवर्धन के अन्तर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये रक्षित स्थानों पर नियुक्ति किये जा सकेंगे.

(7) यदि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार उक्त रक्षित मन्तव्य स्थानों को भरने के लिये पत्रादि संख्या में अयोग्य न हों, तो शेष स्थान अन्य उम्मीदवारों में से भरे जायेंगे तथा प्रत्येक मन्तव्य/प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिये अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये उक्त रक्षित स्थानों पर प्रतिरक्षित स्थान रक्षित रहे जायेंगे, परन्तु उक्त प्रकार के

"केरी फार्म" किये गये स्थानों को भी सम्मिलित करते हुए अनुसूचित स्थानों की संख्या किसी भी समय 45 प्रतिशत रिवत स्थान से अधिक नहीं होगी. प्रतियोगितात्मक परीक्षा को छोड़ अन्य माध्यम से भरे जाने वाले मन्तव्यों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये सुरक्षित स्थानों को, जो प्रथम प्रवर्धन में भरे नहीं जा सकें हो, उपरोक्त प्रकार से 'केरी फार्म' करने के पूर्व एक बार उन्हीं जातियों/जनजातियों के उम्मीदवारों के लिये पुनः विचारित किया जायेगा.

12. चयन हेतु पात्र उम्मीदवारों की सूची:—(1) प्रतियोगितात्मक परीक्षा को छोड़ अन्य तरीके से चयन किये गये उम्मीदवारों की सूची चयन समिति द्वारा योग्यता कम से नगई जायगी और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की सूची जो, यद्यपि उक्त मान के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, शासन को भेजेगी.

(2) चयन समिति अपनी प्रतियोगितात्मक परीक्षा द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों की योग्यता कम से नगई गई सूची तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उन उम्मीदवारों की सूची जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किन्तु जिन्हें चयन समिति में प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, नियुक्ति करने हेतु भेजेगी. यह सूची सर्व साधारण की सूची के लिये भी प्रकाशित की जायेगी.

(3) इन विधियों के अन्तर्गत मन्तव्य प्रवर्धन क्रियान्वित किये जायेंगे (जनसंख्या कक्षात्मक आक गणित) द्वारा 1961 के संवत्त उम्मीदवारों की उक्त उम्मीदवारों पर कम सूची में दर्शाये गये स्थानों के अनुसार, नियुक्ति की जायेगी.

(4) उम्मीदवारों की सूची में प्रवर्धित उम्मीदवारों के लिये नियुक्ति का प्रथम प्रावधान नहीं होगा जब तक नियुक्ति प्राधिकारी का उम्मीदवारों के प्रवर्धन में अंत करने के पश्चात् यह समाप्त न हो जाय कि वह सेवा में शर्त प्रवर्धन से नियुक्ति के लिये योग्य है.

13. परीक्षाएँ द्वारा नियुक्ति:—(1) पात्र उम्मीदवारों की परीक्षा हेतु परीक्षाएँ चयन करने के लिये समिति शक्ति की जायगी जिसमें अनुसूचित जाति के उम्मीदवार शामिल होंगे.

(2) समिति को वेदक सामान्यता धर्म में कम से कम एक बार होगी.

(3) परीक्षा के लिये उल्लेखित उन मन्तव्यों के लिए स्थानों में से जो अनुसूचित जाति के लिये रक्षित 50 प्रतिशत या उन्में अधिक है, 16 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत स्थान का अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सामान्य मन्तव्यों के लिये रक्षित रहे जायेंगे जो नियम 11 के अनुसार परीक्षा के लिये पात्रता रखते हैं.

(4) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये उक्त नियम (3) के अन्तर्गत सुरक्षित स्थानों में परीक्षा आयोजन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा चयन किया गया पर उक्त प्रवर्धन के लिये जारी किये गये अनुसूचित के अनुसार की जायगी.



139

14. पदोन्नति के लिये पात्रता संबंधी शर्तों—(1) उपनियम (2) के अंतर्गत के अध्यक्षीय रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के नामों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को अनुसूची चार के कालम (2) में उल्लिखित पद सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन से उनके समतुल्य घोषित किया है, स्थानापन्न या मौलिक रूप से उक्त अनुसूची के कालम 3 में उल्लिखित सेवा पूर्ण कर ली है तथा विचारार्थ क्षेत्र में पाते हैं।

(2) चयन के लिये विचारार्थ क्षेत्र, चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से सामान्यतया पांच गुना अधिक व्यक्तियों तक सीमित रहेगा किन्तु यदि किसी पद में पदोन्नति के लिये "योग्यता प्रधान वरिष्ठता गण" (Merit cum Seniority) का माप दंड निर्धारित हो तो विचारार्थ क्षेत्र चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या से छठ गुना अधिक व्यक्तियों तक सीमित रहेगा:

परन्तु इस प्रकार प्रवर्धित किये गये क्षेत्र के भीतर आवश्यक संख्या में उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हों तो उसे, समिति, जहाँ तक आवश्यक समझे तथा लिखित में कारण दर्शाते हुए, बढ़ा सकेगी।

15. उपयुक्त उम्मीदवारों की सूची तैयार करना—(1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरा करते हैं तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझे। सूची में उतने नाम सम्मिलित किए जाएंगे जितने सूची बनाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त तथा पदोन्नति के कारण रिक्त स्थान संभावित हों। इनके प्रतिरिक्त उक्त अवधि में होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिये सुरक्षा के लिये तैयार की जाएगी जिसमें चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की संख्या के 25 प्रतिशत नाम रहेंगे।

(2) उप नियम (3) के अंतर्गत के अध्यक्षीय रहते हुए, ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किये जाने वाला चयन ज्येष्ठता का सम्यक ध्यान रखते हुए योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(3) सूची में सम्मिलित किये गये व्यक्तियों के नाम अनुसूची चार के कालम दो में निदिष्ट सेवा में प्रत्येक सूची बनाने के समय यथा स्वीकृति वरिष्ठता क्रम के अनुसार रखे जायेंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ व्यक्ति को जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य तथा उपयुक्त हो, उससे वरिष्ठ व्यक्ति की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—यदि कोई व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित है किन्तु उस सूची के प्रभावशाल रहने तक की अवधि में उसकी पदोन्नति नहीं हुई हो, तो बाद की बनाई गई सूची में केवल अपने पूर्व में चयन होने के आधार पर उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होने का दावा नहीं कर सकेगा जिन्हें बाद के चयन में विचार में लिया गया है।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रावधान पुनर्विस्तारण तथा पुनरीक्षण किया जायेगा।

(5) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विस्तारण तथा पुनरीक्षण के दौरान किसी सदस्यका अधिकतम प्रस्तावित किया जाय, तो समिति प्रस्तावित अधिकतम के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

16. चयन सूची—(1) समिति द्वारा अंतिम रूप से प्रस्तावित सूची अनुसूची चार के कालम 3 में दर्शाये गये अनुसार मध्यप्रदेश

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग (भराजपधित) सेवा के पदोन्नति हेतु प्रयत्न चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची सामान्यतया तब तक लागू रहेगी जब तक कि नियम 15 के उप नियम (4) के अनुसार उक्त पुनर्विस्तारण प्रवधान पुनरीक्षण न किया जाय किन्तु इस सूची के वैधता इसके बनाने की तारीख से 18 महीने की अवधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी।

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अवकाश में गंभीर भूक होने की स्थिति में नियुक्ति प्राधिकारी और विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विस्तारण किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची में से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा।

17. चयन सूची से सेवा में नियुक्ति—(1) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के प्रतंगत पदों पर नियुक्तियाँ उक्त क्रम से की जायगी जिस क्रम से ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हैं।

परन्तु जहाँ प्रशासनिक प्रत्यावाश्कताओं के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, वहाँ किसी व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित न हो या जिसका नाम चयन सूची में दिए गए क्रम पर स्पष्ट रूप से नहीं है उस स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा। मुख्य प्रभियंता को इस बात से समाधान हो जाय कि उक्त रिक्त स्थानों में से अधिक समय तक चयन सूची की संभावना है।

(2) साधारणतः उक्त व्यक्ति को जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो सेवा में नियुक्त करने के पूर्व विभागीय पदोन्नति समिति परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किए जाने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न हो जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त सिद्ध करता हो।

18. परीक्षा:—सेवा में सीधे भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि के लिये परीक्षा पर नियुक्त किया जावेगा।

19. निर्वाचन—यदि इन नियमों के निर्वाचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निदिष्ट किया जायगा और उसे तब तक निर्णय प्रोत्तम होगा।

20. सूट:—इन नियमों में कोई भी बात नहीं समाया जायगा कि यह सूची के संबंध में किसी भी तारीख से लागू होते हैं राज्यांग की ऐसी रीति में लागू नहीं करने का शक्ति सीमित या कम करता है, जो उन्हें उचित और न्याय प्रोत्तम है।

परन्तु किसी मामले में किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जाय जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की प्रतीक्षा उसके लिये कम अनुकूल है।

21. गिरावट और व्याप्ति—इन नियमों का व्याप्ति में प्रस्तावित व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के अंतर्गत प्रस्तावित व्यक्तियों के कारण होने की ठीक पहले लागू हो, इसके द्वारा नियुक्ति प्रोत्तम है।

परन्तु इन प्रकार निर्दिष्ट नियमों के अंतर्गत किया गया कोई भी प्रावधान या कोई भी कार्यवाही इन नियमों के अंतर्गत चयन सूची के अंतर्गत किया जायेगा या कोई भी कार्यवाही समझी जायगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
ब्रह्म स्वामी, गी



## अनुसूची एक

(गियम 5 देखिये)

क्रमांक सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन	नियुक्त प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तृतीय श्रेणी (अनुसूची-1) :-				
उप यंत्री (प्रवर श्रेणी)	15 (सिविल)	भराजपतित स्टेट वाइड कं डर.	रु. 375-121-400-20-500-25-575.	मुख्य अभियन्ता
उप यंत्री/प्राडिफिसर/स्टोर कीपर/कम्प्युटर/सेक्शन प्राडिफिसर/इलेक्ट्रिकल प्रसिस्टेन्ट:	1299 (1173 सि. (126 इले.))	तदेव	रु. 280-10-350-121-400-रोध-20-480.	तदेव
3 डिप्टर इंजीनियर	9 (इलेक्ट्रिकल)	तदेव	तदेव	तदेव
4 फोरमैन	5	तदेव	तदेव	तदेव
5 रिग प्रापरैटर	15 (इलेक्ट्रिकल)	तदेव	तदेव	तदेव
6 प्रसिस्टेन्ट रिग प्रापरैटर	15 (इलेक्ट्रिकल)	तदेव	रु. 205-5-240-6-270-रोध-10-350-121-375.	मुख्य अभियन्ता/प्रधीक्षण यंत्री
7 संबर्भ सहायक/स-प्राडिफिसर	4 (सिविल)	तदेव	तदेव	तदेव
8 सर्वेयर	17 (सिविल)	तदेव	तदेव	तदेव
9 डिप्टर	24 (इलेक्ट्रिकल)	तदेव (1150/-)	रु. 195-5-240-6-252-रोध-6-270-10-330.	तदेव
10 मुख्य मागचिकार (मुख्य अभियन्ता का कार्यालय)	1 (सिविल)	भराजपतित स्टेट वाइड कं डर	रु. 280-10-350-121-400-रोध 20-480-विशेष वेतन रु 50.	मुख्य अभियन्ता
11 मुख्य मागचिकार (अधीक्षण यंत्री का कार्यालय)	10 (सिविल)	तदेव	तदेव	तदेव
12 मागचिकार	87 (84 सिविल) (3 इलेक्ट्रिकल)	तदेव	रु. 280-10-350-121-400-रोध-20-480+विशेष वेतन रु. 25.	तदेव
13 सहायक मागचिकार	120 (115 सिविल) (5 इलेक्ट्रिकल)	तदेव (1200/-)	रु. 205-5-240-6-270-रोध-10-350-121-375.	मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री-उनके अधीनस्थ पदों के लिये.
14 प्रमुख	178 (सिविल)	तदेव (950/-)	(घ) हायर जेनरल स्ट्रॉक्सा उत्तीर्ण तथा स्कैचिंग का अनुभव रु. 159-1-137-5-240-रोध-6-270-10-330	मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण यंत्री.
			(व) प्रमुख के लिए रु. 153-21-130-4-180-रोध-5-240-6-252	तदेव



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

## सूचीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) —

1	अधीक्षक (मुख्यलय)	.. 3	स्टेट वाइड कोडर	रु. 375-121-400-20-500-25-575.	मुख्य अभियन्ता
2	अधीक्षक (मंडल कार्यालय)	.. 10	तद्व	रु. 280-10-350-121-400-रोध-20-480.	तद्व
3	जुनियर अकाउन्ट्स आफिसर	2	संचालनालय कोष एवं लेखा से प्रति नियुक्ति पर लिये जायेंगे.	रु. 350-121-400-20-500-रोध-25-600.	तद्व
4	स्टेण्टीरटीफिक प्रसिस्टेंट	.. 2	तद्व	रु. 280-10-350-121-400-रोध-20-480.	तद्व
5	सहायक (वरिष्ठ श्रेणी लिपिक) मुख्यलय.	7	तद्व	रु. 246-6-270-10-350-रोध-121-400-20-460	तद्व
6	सहायक (मुख्य सहायक) मंडल कार्यालय.	16	तद्व	रु. तद्व	तद्व
7	शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर) — विभाग प्रमुख के.	2	तद्व	रु. 280-10-350-121-400-रोध-20-480-	तद्व
8	शीघ्रलेखक अन्य	.. 19	तद्व	रु. तद्व	तद्व
9	शीघ्रमुद्रक (स्टेनोग्राफिस्ट)	.. 1	तद्व	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300। वि. वे. 40.	तद्व
10	लेखापाल	.. 6	तद्व	रु. 205-5-240-6-270-रोध-10-350-121-375.	तद्व
11	आडिटर उच्च श्रेणी लिपिक	.. 2/21	तद्व	रु. 195-5-240-6-252-रोध-6-270-10-330.	तद्व
12	निम्न श्रेणी लिपिक/मुद्रक	.. 42	तद्व	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300.	तद्व

## सूचीय श्रेणी मिनिस्टेरियल (लिपिक वर्गीय) —

1	शीघ्र मुद्रक (स्टेनोग्राफिस्ट)	.. 2	मान स्टेट वाइड कोडर	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300। वि. वे. 40.	प्रशिक्षण यंत्र/कार्यपालन यंत्र
2	प्रथम श्रेणी लिपिक	.. 153	तद्व	रु. 195-5-240-6-252-रोध-6-270-10-330.	प्रशिक्षण यंत्र
3	उच्च श्रेणी लिपिक	.. 238	तद्व	रु. तद्व	तद्व
4	निम्न श्रेणी लिपिक	.. 646	तद्व	रु. 169-4-185-5-240-रोध-6-270-10-300.	प्रशिक्षण यंत्र/कार्यपालन यंत्र
5	संभागीय लेखापाल	.. 48	तद्व	महालेखापार द्वारा नियुक्त	..

## सूचीय श्रेणी अन्य —

1	कंपिस्ट	.. 6	तद्व	रु. 246-6-270-10-350-रोध-121-400-20-460.	मुख्य अभियन्ता
---	---------	------	------	--	----------------



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	सहायक कैमिस्ट / (यू.सी.सिफ) ..	5	मान स्टेट यात्रा फेजर तदेव	क. 169-4-185-5-240-रोध- 6-270-10-300. तदेव	प्रशिक्षण मंत्री/ कार्यपालन मंत्री. मंत्री
3	सेबोरेटरी प्रोपरेटर ..	8	तदेव	तदेव	तदेव
4	स्टोर कीपर / (वि. यो. वि. वी. डी) ..	7	तदेव	तदेव	तदेव
5	मेकेनिक, युवा सहायक ..	25	तदेव	क. 195-5-240-6-252-उप- 6-270-10-330. तदेव	तदेव
6	स्टोर कीपर (उच्च श्रे. सि. ग्रेड) अकाउन्टेन्ट ..	21	तदेव	तदेव	प्रशिक्षण मंत्री
7	गव इन्स्पेक्टर ..	5	तदेव	तदेव	तदेव
	मीटर इन्स्पेक्टर ..	2	तदेव	तदेव	तदेव
	सेमीटरी इन्स्पेक्टर ..	8	तदेव	तदेव	तदेव
	विजने प्रोपरेटर ..	2		क. 220-5-240-6-270-10- 300-रोध-10-350-121- 375. तदेव	मुख्य अभियन्ता
11	इलेक्ट्रिशियन/वायरमैन ..	7	तदेव	क. 155-21-160-4-180- रोध-5-240-6-252. तदेव	प्रशिक्षण मंत्री/ कार्यपालन मंत्री
12	फिटर ..	20	तदेव	तदेव	तदेव
13	फिटर इंसपेक्टर एवं कैमिस्ट ..	1	तदेव	तदेव	तदेव
14	मिस्त्री ..	2	तदेव	तदेव	तदेव
15	शिफ्ट ड्रायवर ..	80	तदेव	तदेव	तदेव
16	पम्प ड्रायवर ..	40	तदेव	तदेव	तदेव
17	प्लम्बर्स ..	17	तदेव	तदेव	तदेव
18	मोटर रोडर ..	40	तदेव	क. 155-21-160-4-180-5-230. तदेव	तदेव
19	मोटर मिस्त्री ..	4	तदेव	तदेव	तदेव
20	मोटर फिटर ..	3	तदेव	तदेव	तदेव
21	फिल्टर फिटर ..	4	तदेव	तदेव	तदेव
22	फिल्टर प्रोपरेटर ..	7	तदेव	तदेव	तदेव
23	पाईप फिटर ..	11	तदेव	तदेव	तदेव
24	शिफ्ट फिटर ..	10	तदेव	तदेव	तदेव
25	मोटर ड्रायवर/व्हीकल ड्रायवर. ..	17	तदेव	क. 155-21-160-4-180-रोध 5-240-6-252. तदेव	तदेव
26	ट्रेक ड्रायवर ..	15	तदेव	तदेव	तदेव
27	जीप ड्रायवर ..	15	तदेव	तदेव	तदेव
28	सारी ड्रायवर ..	2	तदेव	तदेव	तदेव
29	व्हीकल मोटर ड्रायवर ..		तदेव	तदेव	तदेव
30	मोटर वॉट ड्रायवर ..		तदेव	तदेव	तदेव
	फार्म गुारिटेन्डेन्ट एवं कैमिस्ट ..	1	तदेव	क. 246-6-270-10-350-रोध 121-400-20-460. तदेव	मुख्य अभियन्ता
32	विन मसाले/प्रोपरेटर ..	11	तदेव	क. 169-4-185-5-240-रोध- 6-270-10-300. तदेव	प्रशिक्षण मंत्री
33	एयर काम्प्रेसर प्रोपरेटर ..	92	तदेव	क. 195-5-240-6-252-रोध- 6-270-10-330. तदेव	कार्यपालन मंत्री
34	एयर काम्प्रेसर ड्रायवर ..	92	तदेव	तदेव	तदेव
35	ड्रिलर एवं ब्लास्टर ..	6	तदेव	तदेव	तदेव
36	एक्सप्लोजीविव ड्रायवर ..	6	तदेव	तदेव	तदेव
37	फिटर अटेन्डेन्ट ..	47	तदेव	क. 155-21-160-4-180-रोध 5-230 तदेव	तदेव
38	पम्प अटेन्डेन्ट ..	50	तदेव	तदेव	तदेव
39	वेल्डर ..	5	तदेव	क. 155-21-160-4-180-रोध 5-210-6-252. तदेव	तदेव
40	टर्नर ..	11	तदेव	तदेव	तदेव



प्रनुमूनी दो  
[नियम 6 (2) के अन्तर्गत]

विभाग का नाम	सेवा का नाम 1. नाम 2. पदों का विवरण	पदों की संख्या	भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत		विधायीय नामन समिति		
			धीमी गती द्वारा नियम 6 (1) (क)	सेवा के पदों की पदोन्नति द्वारा नियम 6(1)(घ) द्वारा नियम 6(1)(ग)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सूचीक श्रेणी (प्रनुमूनी)							
स्वास्थ्य विभाग	उप यंत्री (सिलेक्शन ग्रेड)	15	..	शतप्रतिशत	..	..	..
-हंजीनि-यंत्रिय विभाग	उपयंत्री-प्राटिफिसर स्टोर कीपर/कीम्प्यूटर (सिविल) (मैके.)	1173-126	75%	75%	..	1. प्राधीक्षण यंत्री (डिजाइन)-प्रध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना)-सदस्य. 3. कार्यपालन यंत्री (डिजाइन)-सदस्य.	25% गती सिविल/मैके. के पद संकर्म महायक सर्वेयर के तथा प्राटिफिसर के पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे.
	सेवशन प्राफीसर/ इलेक्ट्रीकल प्रसिस्टेन्ट						
	डिलर इंजीनियर	9	75%	..	25%	1. कार्यपालन यंत्री (मैके.)-प्रध्यक्ष 2. महायक यंत्री (मैके.)-सदस्य	डिलर इंजी. * फीरमेनके 25% पद मैके. उपयंत्रियों प्रस्वायी स्थानांतर द्वारा भरे जायेंगे.
	ओरनेन	5	75%	..	25%	सर्वेय	* (एन रिग प्रापरटेर)
	रिग प्रापरटेर	15	..	100%	..	सर्वेय	सर्वेय
	प्रसिस्टेन्ट रिग प्रापरटेर	15	25%	25%	..	सर्वेय	75% प्रसिस्टेन्ट रिग प्रापरटेर के पद डीअर रिग प्रापरटेर एवं हेन्पर के पदोन्नति द्वारा भरे जायेंगे.
	यंत्र सहायक सब-प्राटि-फिसर	4	100%	..	..	1. कार्यपालन यंत्री-प्रध्यक्ष, (मंडल स्तर पर) 2. दो सहायक यंत्री सरस्य	प्राधान्य... पद भरती द्वारा प्रतिगत यंत्रिय उ चारों की उपर अनुसार बदल सकता है.
	सर्वेयर	17	100%	..	..	सर्वेय	सर्वेय
	डिलर	24	25%	75%	..	1. कार्यपालन यंत्री (मैके.)-प्रध्यक्ष 2. दो सहायक यंत्री (मैके.)-सदस्य	75% डिलर के पदों में से पदोन्नत द्वारा भरे जायेंगे.
	मुख्य मानचित्रकार (मुख्य अभियन्ता का कार्यालय)	1	..	75%	25%	..	25% पद उपयंत्रियों में से प्रस्वायी रूप से स्थानांतर द्वारा भरे जायेंगे.
	मुख्य मानचित्रकार (प्राधीक्षण यंत्री का कार्यालय)	10	..	75%	25%	..	सर्वेय
	मानचित्रकार	84-3	..	75%	25%	..	सर्वेय



52

144

36

230

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 1984

[भाग 1 (4)]

The following entries shall be substituted, namely :-

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Head Draftsman (Office of the Chief Engineer)	1	..	cent percent	..	1. Superintending Engineer. Chairman. 2. Two Executive Engineers. Members.	For the Post of CB Office Superintending Engineer (Design) will be the Chairman of the selection Committee and for the post of Divisional level the Superintending Engineer concerned will be the Chairman.
Head Draftsman (Office of the Superintending Engineer)	10	..	cent percent	..		
Draftsman	84+3	..	cent percent	..		
Assistant Draftsman	115+5	75%	25%	..		

(2) In Schedule III under the heading, "Class III (Technical Executive)" :-

(a) against the entry "Assistant Draftsman" in column (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"Diploma in Architecture, or Trade Certificate of Draftsman course in Civil or Mechanical Engineering from the Industrial Training Institute of Surveyor Trade Certificate Or Apprentice Certificate (3 years) of Industrial Council of Vocational Training."

(b) against the entry "Tracer" in column (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

"A certificate of Higher Secondary Examination from the Madhya Pradesh Board of Higher Secondary Education or an equivalent certificate from any other recognized Board with Drawing as one of the subjects or a certificate of Higher Secondary Technical Examination of the Madhya Pradesh Board of Technical Education or an equivalent Certificate from any other recognized Board".

(3) In Schedule IV, under the heading--

"Class III Technical (Non-Executive)"--

(a) against the entry "Draftsman" in column (3) the words "No minimum qualification" shall be omitted.

(b) against the entry "Assistant Draftsman" in column (3), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

(a) five years service where the candidate possesses the requisite qualification as mentioned in column (5) of the Schedule III against the entry Assistant Draftsman.

(b) ten years "Service in case of others".

(c) against the entry, "Tracer" in column (3), for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely :-

"10 years Service."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

N. B. LOHANI, Sec.

नियंत्रक, मुख्य तथा जंजन भावरी, मध्यप्रदेश, द्वारा शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, गीतान से मुद्रित तथा प्रकाशित 1984



## भाग ४ (घ)

## अन्तिम नियम

## लोक स्वास्थ्य मांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 1989

क्र. एक. 2-35-चौतीस-1-84.—भारत के मंत्रिपाल के प्रनुरच्छेद 309 के परसुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य मांत्रिकी विभाग (पराजपत्रि सेवा) सेवा की शर्तें तथा शर्तों नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

## संशोधन

उक्त नियमों में,—

- (1) अनुसूची-एक में, शीर्षक—तृतीय श्रेणी—प्र-य के प्रथीन क्रमांक-5 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रस्तःस्थापित की जाएं; अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5-क	हंडपम्प मंकेनिक	1644	तदंब	975—25—1000—30—1210—40— 1450—50—1650	कार्यपालन यंत्री.

- (2) अनुसूची-दो में, शीर्षक 'तृतीय श्रेणी-प्र-य के प्रथीन प्रविष्टि मंकेनिक/गुणस्वाइजर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रस्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	हंडपम्प मंकेनिक	1644	100 प्रतिशत	..	..	..	कनिष्ठ सेवा चयन मण्डल द्वारा

- (3) अनुसूची-तीन में, शीर्षक "तृतीय श्रेणी-"अन्तर्गत के प्रथीन प्रविष्टि मंकेनिक/गुणस्वाइजर तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रस्तःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	हंडपम्प मंकेनिक	18 वर्ष	30 वर्ष	हायर मेकण्डरी वा 10-1-2 गरीजा उत्तीर्ण और प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में फिटर ट्रेड वा मंकेनिकल ट्रेड में वा मोटर मंकेनिक, टूटर मंकेनिक, पाटोमीयांशन मंकेनिक, मशीनिस्ट का दो वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने का प्रमाण-पत्र/प्रथिमान फिटर ट्रेड को दिया जाएगा.	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम में तथा कारिणानुसार,  
ए. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 31 जुलाई 1989

क्र. एक. 2-35-चौतीस-1-84.—भारत के मंत्रिपाल के प्रनुरच्छेद 348 के मण्ड (3) के अनुकरण में-उप विभाग की प्रतिमुचना क्रमांक एक 2-35-चौतीस-1-84, दिनांक 31 जुलाई 1989 का संवेजी प्रमुताद राज्यपाल के प्राधिकार में एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम में तथा कारिणानुसार,  
ए. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सहायक मानचित्रकार	115+5	85%	15%	...	1. प्रशिक्षण यंत्री-सहायक	मध्य प्रदेश शासन के कार्यालय के पद के लिए प्रशिक्षण यंत्री (विशेषज्ञ).	
अनुरेखक	178	शतप्रतिशत	...	...	2. कार्यपालन यंत्री-2-मदस्य	समाप्त गतिविधि के अन्तर्गत रहेगी. मण्डल स्तर के पदों के लिये संबंधित प्रशिक्षण यंत्री प्रेषण रहेगी.	
<b>तृतीय श्रेणी मिनिस्टेरियम (स्टेट ना.ड केडर)</b>							
अधीक्षक (मुख्यालय एवं मण्डल कार्यालय)	3+10	...	अतःप्रतिशत	...	1. प्रशिक्षण यंत्री (रूपांतरण) अध्यक्ष	मण्डल कार्यालय के अधी-क्षकों के पद मध्यप्रदेश एवं	
					2. कार्यपालन यंत्री (योजना) मदस्य.	मण्डल कार्यालय के महाप्रबन्ध के परामर्शिता द्वारा भरे जायेंगे.	
					3. सेवाप्रधानरी मदस्य.		
जूनियर अकाउन्ट्स ऑफिसर	2	...	अतःप्रतिशत	...		मंडल कार्यालय के कार्यालय के पद के लिए प्रशिक्षण यंत्री के द्वारा प्रशिक्षण यंत्रियों के परामर्शिता द्वारा भरे जायेंगे.	
						जूनियर अकाउन्ट्स ऑफिसर के पद मंचानकार्य को प्रबन्ध सेवा के कार्य-कारियों को प्रतिनिधित्वित द्वारा भरे जायेंगे.	
स्टेस्टोकल प्रसिस्टेन्ट	2	...	एक	...		स्टेस्टोकल प्रसिस्टेन्ट के पद प्राथिक तथा माध्यमिक मंचानकार्य के प्रशिक्षण उपधीनकार को प्रतिनिधित्वित द्वारा भरे जायेंगे.	
सहायक (मुख्यालय एवं मण्डल कार्यालय).	7+16	25%	75%	...		मध्य प्रदेश शासन कार्यालय के सहायक के पद मुख्य प्राथि. कार्यालय के सेवापान को परामर्शिता द्वारा भरे जायेंगे एवं मण्डल कार्यालय के सहायक पद प्रथम श्रेणी नियुक्तियों के परामर्शिता द्वारा भरे जायेंगे परामर्शिता हेतु उन प्र. भे. वि. के प्रशिक्षणों पर विचार किया जायेंगा किन्तु वे सुशिक्षित एवं उचित परीक्षा उत्तीर्ण की हों.	
सेवापाल	6	...	अतःप्रतिशत	...		सेवापाल के पद मुख्य प्राथि-कत कार्यालय प्राथिक परामर्शिता के परामर्शिता द्वारा भरे जायेंगे.	



147

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ग्राहिएर/उच्च श्रे.लि.	2/21	..	शतप्रतिशत	..	..	..	ग्राहिएर एवं उच्च श्रे.लि. के पर मध्य प्रभागका कार्यालय के निम्न श्रेणी लिपिक को पदोन्नति द्वारा भरे जायेगे.
शीघ्र लेखक (विभाग प्रमुख के)	2	}	शतप्रतिशत	..	..	..	
गीत्रलेखक (अन्य)	19			..	..	..	
स्टेनो टायपिस्ट	1	..	शतप्रतिशत	..	..	..	
निम्न श्रेणी लिपिक/मुद्रक	42	90%	10%	..	..	..	निम्न श्रेणी लिपिक के 10% स्थान उत्तम श्रेणी कर्मचारियों जिन्होंने हायर मेकेन्डी परीक्षा उत्तीर्ण की है के (सामान्य प्रशासन विभाग के आ. फ. 127/782/1/ (3) 72, दिनांक 6-3-72 के अनुसार पदोन्नति द्वारा भरे जायेगे.
मुद्रलेख							
<u>तृतीय श्रेणी निविस्ट्रेरिफल, नान स्टेट वाईड केंद्र</u>							
प्रथम श्रेणी लिपिक	153	..	100%	..	..	1. कार्यपालन यंत्री—प्रध्यक्ष 2. सहायक यंत्री-2—सदस्य	50% पर उच्च श्रेणी लिपिकों के स्थानांतरण द्वारा (परिष्कारानुसार) भरे जायेगे.
उच्च श्रेणी लिपिक	238	..	..	100%	..	तदेव	
संभागीय लेखापाल	48	..	..	शतप्रतिशत	..	..	प्रभागीय रूप में महालेखाकार द्वारा नियुक्त किये जायेगे.
स्टेनो टायपिस्ट	2	..	..	..	..	1. कार्यपालन यंत्री—प्रध्यक्ष 2. सहायक यंत्री-2—सदस्य	..
निम्न श्रेणी लिपिक	646	90%	10%	..	..	..	10% स्थान हायर मेकेन्डी उत्तीर्ण कर्मचारियों पर उत्तम श्रेणी को पदोन्नति द्वारा भरे जायेगे.
<u>तृतीय श्रेणी अन्य—नान-स्टेट वाईड केंद्र</u>							
कैमिस्ट (लेबोरेटरी)	6	..	शतप्रतिशत	..	..	1. यधीक्षण यंत्री—प्रध्यक्ष (यंत्रालय मण्डलों के लिए) 2. कार्यपालन यंत्री—सदस्य (मदल मुमानक के) 3. चीफ कैमिस्ट	..
सहायक कैमिस्ट (गुनासेफ)	5	..	शतप्रतिशत	..	..	..	तदेव
लेबोरेटरी कैमिस्ट्रेट	8	..	शतप्रतिशत	..	..	..	तदेव



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
स्टोर फीपर (नि.शे.मि.) प्रेंस 7	शातप्रतिशत					1. कार्यपालन यंत्री-प्रधान (संबंधित मण्डल मुख्यालय के). 2. दो सहायक यंत्री-सदस्य (संबंधित मण्डल मुख्यालय के).	
मेकेनिक/सुपरवाइजर	25	शातप्रतिशत				तदेव	
स्टोर फीपर/प्रकारिन्डेन्ट (उ.शे.सि.ग्रेड)	21/1	100%					50% पद निम्न श्रेणी लिपिक ग्रेड के स्टोरफीपर को पदाभ्यति द्वारा भरे जावेगे.
इल-इन्सपेक्टर	5			शातप्रतिशत			यह पद मेकेनिक/सुपरवाइजर के स्थानांतर द्वारा भरे जावेगे.
मीटर इन्सपेक्टर	2	100%					यह पद मीटर रीडर की पदाभ्यति द्वारा भरे जावेगे.
सेनेटरी इन्सपेक्टर	8	शातप्रतिशत				1. कार्यपालन यंत्री-प्रध्यक्ष (संबंधित मण्डल मुख्यालय के). 2. दो सहायक यंत्री-सदस्य (संबंधित मण्डल मुख्यालय के).	
फार्म सुपरिन्टेन्डेन्ट एवम् कोमिस्ट.	1	शातप्रतिशत				तदेव	
बिजिनेस प्रसिस्टेन्ट	2	शातप्रतिशत				1. कार्यपालन यंत्री-प्रध्यक्ष (संबंधित मण्डल मुख्यालय के) 2. दो सहायक यंत्री सदस्य	
इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन	7	शातप्रतिशत				तदेव	
फिल्टर इन्सपेक्टर एवं केमिस्ट मिस्त्री	1	शातप्रतिशत				तदेव	
लिफ्ट ड्रायवर	2	शातप्रतिशत				तदेव	
फुम ड्रायवर	80	शातप्रतिशत				तदेव	
क्रेमर्स	40	शातप्रतिशत				तदेव	
क्रेमर्स	17	शातप्रतिशत				तदेव	
मीटर रीडर	40	शातप्रतिशत				तदेव	
मीटर मिस्त्री	4	शातप्रतिशत				तदेव	
प्रिंटर फिटर	3	शातप्रतिशत				तदेव	
फिल्टर फिटर	4	शातप्रतिशत				तदेव	
फिल्टर मीटर	7	शातप्रतिशत				तदेव	
फिटर	11	शातप्रतिशत				तदेव	
फिल्टर फिटर	10	शातप्रतिशत				तदेव	
मीटर ड्रायवर/व्हीकल ड्रायवर	17	शातप्रतिशत				तदेव	
इक ड्रायवर	15	शातप्रतिशत				1. कार्यपालन यंत्री-प्रधान (संबंधित मण्डल मुख्यालय के) 2. सहायक यंत्री-सदस्य	
जीप ड्रायवर	15	शातप्रतिशत				तदेव	
सारां ड्रायवर	2	शातप्रतिशत				तदेव	
मीटर बोट ड्रायवर	1	शातप्रतिशत				तदेव	
फिल्टर प्रोसेन्टेन्ट	17	शातप्रतिशत				तदेव	
फॉर्म प्रोसेन्टेन्ट	50	शातप्रतिशत				तदेव	

NG 2



149

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
वेल्डर	..	5	शतप्रतिशत	..	..	1. कार्यपालन पंजी-पध्यक्ष	
टर्नर	..	11	शतप्रतिशत	..	..	2. सहायक पंजी 2-सदस्य	(संबंधित मण्डल मुख्यालय के)
बिम नलार्ज/ केशियर	..	11	शतप्रतिशत	..	..	सद्व	सद्व
एयर कम्प्रेसर	..	92	शतप्रतिशत	..	..	सद्व	सद्व
प्रापरेटर							
एयर कम्प्रेसर ड्रायवर	..	92	शतप्रतिशत	..	..	सद्व	सद्व
ड्रीलर एवं ब्लास्टर	..	8	शतप्रतिशत	..	..	सद्व	सद्व
एक एनसप्लोजीवन ड्रायवर	..	6	शतप्रतिशत	..	..	सद्व	सद्व

प्रनुमूची तीन

(नियम 8 देखिये)

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भरती नियम

विभाग का नाम	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	निर्धारित शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>तृतीय श्रेणी (तकनीकी एनजीन्यूटिव)</b>					
लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग.	उपयंत्री (सिविल / मेकेनिकल) / पार्टिफिगर / स्टोरकीपर / कम्प्यूटर / सेक्शन प्राफिगर / इलेक्ट्रिकल प्रसिस्टेन्ट.	18	28	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में सिविल / मेकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय डिप्लोमा तथा 6 साल का अनुभव.	प्रनुमूचित जाति / जनजाति सदस्यों को एवं भूतपूर्व सैनिकों की प्रायु सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.
	ड्रिलर इंजीनियरिंग / फोरमेन.	18	28	राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था में मेकेनिकल / पार्टोमोबाईल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा.	
	रिंग प्रापरेटर	18	28	(क) साठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं साठ वर्षों का डिप्लोमा कार्य का अनुभव या 80,000 फुट फास्ट रिंग पर डिप्लोमा किया हो. (ख) मैट्रिक उत्तीर्ण तथा 6 वर्षों का डिप्लोमा कार्य का अनुभव या 60,000 फुट फास्ट रिंग पर डिप्लोमा किया हो. (ग) इन्टरमिडियट डेविग इन्स्टीट्यूट का मास्टर मेकेनिक साय. सी. इंजी. या डिप्लोमा मेकेनिक का ट्रेड पार्टिफिगेट तथा साठ वर्षों का डिप्लोमा कार्य का अनुभव या 40,000 फुट फास्ट रिंग पर 40,000 फुट डिप्लोमा किया हो. (घ) गैल वर्गीय मेकेनिकल / पार्टोमोबाईल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्राप्त तथा एक वर्षों का डिप्लोमा कार्य का अनुभव या 10,000 फुट डिप्लोमा किया हो.	प्रनुभव के आधार पर प्रायु सीमा में छूट दी जावेगी
	प्रसिस्टेन्ट रिंग प्रापरेटर.	18	28	(क) साठवीं कक्षा उत्तीर्ण तथा साठ वर्षों का अनुभव या 10,000 फुट डिप्लोमा किया हो एवं साठ साल का वेतन लाभ की शायता तथा बर्किंग के लिए एवं प्रायुसीमा पर प्रायु की शायता हो.	



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(ख) मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का ड्रिलिंग कार्य का अनुभव प्राप्त या फास्ट रिग पर 30,000 फुट ड्रिलिंग किया हो.

स्टेनोग्राफिस्ट 18 28

हायर मेकेनिकरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं भी प्रवेशन का समय तथा आईए राइटिंग में से परीक्षा में किसी एक सेलेक्शन का प्रमाणपत्र प्राप्त.

निम्न श्रेणी लिपिक .. 18 28

हायर मेकेनिकरी परीक्षा उत्तीर्ण तथा विभिन्न मान्यता प्राप्त बोर्ड में हिन्दी मटेनेन्स की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये.

अनुभूति जालि / जनजाति के सदस्यों को एवं भूत-पूर्व सेनिकों की प्राथमिकता में नियमानुसार छूट दी जावेगी.

तृतीय श्रेणी अन्य—

केमिस्ट .. .. 18 28

बी. एस्. सी. (केमिस्ट्री के विषय के साथ) वाटर मनीज तथा इन्डस्ट्रियल वेस्ट परीक्षण का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जावेगी.

तर्ज

सहायक केमिस्ट .. 18 28

मेट्रिक परीक्षा के मिस्ट्री विषय के साथ उत्तीर्ण

तर्ज

सेनोरेटरी प्रसिस्टेंट .. 18 28

तर्ज

तर्ज

स्टोर कीपर (नि.श्रे.लि. ग्रेड). 18 28

हायर मेकेनिकरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं फास्ट उन्टस् कार्य का अनुभव.

मैकेनिक / सुपरवाइजर .. 18 28

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से मैकेनिकल ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त.

तर्ज

मेनेटरी इन्स्पेक्टर .. 18 28

हायर मेकेनिकरी स्कूल एवं मेनेटरी इन्स्पेक्टर काम का सर्टिफिकेट प्राप्त.

विजनेस प्रसिस्टेंट .. 18 28

बी. ए. बी. एम. सी. बी. बी. एम. एवं प्रकाश-उन्टस् कार्य का वर्ष अनुभव.

कामें सुपरिन्डेन्ट .. 18 28

बी. एस. सी. एम. ए. ए.

इलेक्ट्रीशियन / वायरमेन 18 28

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से इलेक्ट्रीशियन/वायरमेन ट्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त.

फिटर .. 18 28

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से फिटर ट्रेड का सर्टिफिकेट प्राप्त.

फिटर इन्स्पेक्टर एवं केमिस्ट 18 28

तर्ज

मिस्त्री .. 18 28

तर्ज

प्रिण्ट ड्राइवर .. 18 28

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का इन्ट्रिमेंट मैकेनिकल ट्रेड का सर्टिफिकेट.

प्रसिस्टेंट रिग प्रापरेटर 18 28

(ग) इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट से मांटर मैकेनिकल याई. सी. इ.सी. या इंग्लिश मैकेनिक का ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त किया

Handwritten signature and number: 126-2



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

हो एवं दो वर्षों का ट्रेनिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिंग पर 20,000 फुट का ट्रेनिंग किया हो।  
(घ) मैकेनिकल इंजीनियरिंग या प्राटो-मावाइल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा प्राप्त किया हो एवं 6 माह का ट्रेनिंग कार्य का अनुभव अथवा फास्ट रिंग पर 5,000 फुट ट्रेनिंग किया हो।

सब-प्रोब्रसियर/सब-आर्टिफिसर.

18

28

दो वर्षीय डिप्लोमा विज्ञान / मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट (मान्यता प्राप्त संस्था से).

सर्वेयर

18

28

मान्यता प्राप्त संस्था से दो वर्षीय विज्ञान इंजीनियरिंग डिप्लोमा या सर्वे ड्रेड कॉर्स का इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का ड्रेड सर्टिफिकेट.

ड्रिलर

18

28

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का डीजन मैकेनिक का ड्रेड सर्टिफिकेट या ट्रेनिंग कार्य का दो वर्ष अनुभव.

सहायक मापचित्रकार

18

28

राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से चित्रकार प्रथम श्रेणीक उच्च-मैथिदशक कॉर्स या अस्तुतया में डिप्लोमा या इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से ड्राफ्टिंग / ड्रेड सर्टिफिकेट.

अनु रेखक

18

28

मेट्रिक उत्तीर्ण तथा प्रारंभिक प्रार माध्यमिक ड्राइंग परीक्षा उत्तीर्ण.

तृतीय श्रेणी मिनिस्ट्रेरियल—

स्टेटीस्टिकल असिस्टेंट

18

28

एम.ए., एम.एस. या स्टाटिस्टिक विषय में

इनको नियुक्ति प्राधिक एंड सांख्यिकी संचालन विद्वानों द्वारा की जावेगी.

सहायक

18

28

मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त.

स्टेनोग्राफर

18

28

हायर ग्रेजुएट या एम.एस.प्रदेश के शांटी ड्रेड तथा डाइप्लोमा चार में (हिन्दी में) प्राप्त किया गया तथा मुद्रण में प्रमाणित.

अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों का एवं भूतपूर्व सैनिकों की प्राप्ति सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.

एम्प ड्राफ्टर

18

28

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का इन्स्ट्रुमेंट मैकेनिक ड्रेड का सर्टिफिकेट.

अनुसूचित जाति / जनजाति के सदस्यों एवं भूतपूर्व सैनिकों की प्राप्ति सीमा में नियमानुसार छूट दी जावेगी.

प्लम्बर

18

28

इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का प्लम्बर ड्रेड का सर्टिफिकेट.

तद्व

वाटर रीडर

18

28

हायर ग्रेजुएट परीक्षा उत्तीर्ण

तद्व



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मीटर गिस्त्री	.. 18	28	इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का फिल्टर ड्रेड का सर्टिफिकेट.	प्रत्युचित जगह / जगहों के मरम्मत एवं शुद्धीकरण की प्रत्युत्पादन विधियों के अन्तर्गत फिट दी जावेगी.	
फिल्टर फिल्टर	.. 18	28		तदेव	तदेव
फिल्टर धापरेटर	.. 18	28		तदेव	तदेव
वाइप फिल्टर	.. 18	28		तदेव	तदेव
सिपट फिल्टर	.. 18	28		तदेव	तदेव
मोटर ड्रायवर / टुक ड्रायवर / जीप ड्रायवर / सारी ड्रायवर व्हीकल ड्रायवर.	18	28	ड्रायविंग का नायमेग प्राप्त होना चाहिए		तदेव
मोटर बोट ड्रायवर	.. 18	28	मोटर बोट ट्रायविंग नायमेग प्राप्त होना चाहिए.		तदेव
पम्प ग्रेटेन्डेंट फिल्टर ग्रेटेन्डेंट.	.. 18	28	इन्स्ट्रुमेन्ट मेकेनिक का इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का ड्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त.		तदेव
वेल्डर / टर्नर	.. 18	28	वेल्डर / टर्नर ड्रेड में इंडस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट का ड्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त.		तदेव
विल क्लर्क / कोशियर	.. 18	28	हायर मेकेनिकरी परीक्षा उन्नीस एवं प्रकाशक कार्य का अनुभव.		तदेव
✓ एयर कम्प्रेसर ड्रायवर	.. 18	28	इंडस्ट्रीयल इन्स्टीट्यूट का मशीनिस्ट ड्रेड का सर्टिफिकेट.		तदेव
✗ एयर कम्प्रेसर ड्रायवर एयर कम्प्रेसर अपरेटर.	18	28		तदेव	तदेव
✓ ड्रिलर एवं ब्लान्डर	.. 18	28		तदेव	तदेव
एक्सप्लोजिव वेन ड्रायवर	18	28	एक्सप्लोजिव एन ड्रायविंग का नायमेग प्राप्त.		तदेव

प्रत्युत्पादन विधि

(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम, उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	उस सेवा अथवा पद पर पदोन्नति हेतु अर्ह होने की न्यूनतम अवधि	उप सेवा अथवा पद का नाम जिस पद पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)	दिए गयीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग

तृतीय श्रेणी तकनीकी (एग्जीक्यूटिव)

उपयंत्री	.. 12 गज (केवल स्थायी)	उपयंत्री (मेनेजर-पेट)	1. प्रधान गज (डिजाईन) — प्रधान
			2. कार्यपालन गज (बी.बी.) — तदनु
			3. एकाग्रता अधिकारी — तदनु



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

सर्वेयर/संकर्म  
सहायक/सब  
आर्टिफिसर

10 साल (मेट्रिकयूलेशन)

उप यंत्री/  
आर्टिफिसर1. प्रवीक्षण यंत्री (डिजाईन), प्रधरक्ष  
2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य  
3. एकाउन्ट्स आर्टिफिसर, सदस्यसहायक रिग  
आपरेटरक. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं  
आठ वर्ष का ट्रेनिंग कार्य का  
अनुभव या 80,000 फुट  
फास्ट रिग पर ट्रेनिंग किया  
हो।

रिग आपरेटर

1. कार्यपालन यंत्री (मैके.)  
प्रधरक्ष.  
2. दो महत्त्वक यंत्री (मैके.)  
सदस्यसंबंधित मण्डलों के प्रन्तगत  
पद भरने हेतु इसके  
प्रधीनस्थ कार्यपालन यंत्री  
मैके. वि. प. स. के श्रेयता  
होंगे।ख. मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण  
एवं 6 वर्ष का ट्रेनिंग कार्य  
का अनुभव अथवा फास्ट रिग  
पर 80,000 फुट ट्रेनिंग  
किया हो।ग. इन्स्टीट्यूट इन्स्टीट्यूट  
की सर्टीफिकेट प्राप्त एवं  
चार वर्ष का ट्रेनिंग कार्य  
का अनुभव अथवा 40,000  
फुट ट्रेनिंग किया हो।घ. मैकेनिकल / आटोमोबाइल  
इंजीनियरिंग का तीन वर्षीय  
डिप्लोमा प्राप्त एवं एक  
वर्ष का ट्रेनिंग कार्य का  
अनुभव अथवा 10,000  
फुट फास्ट रिग पर ट्रेनिंग  
किया हो।

ड्रिलर

ड्रिलर के पद पर पांच वर्षों  
का अनुभव एवं हिन्दी  
अथवा अंग्रेजी पढ़ने का ज्ञान तथा  
माइक्रोमीटर एवं वॉल्वर  
केनिपर पढ़ने की क्षमता  
तथा आइल के ग्रेडस् जानने  
की क्षमता।त्रि  
प्रमिस्टेन्ट रिग  
आपरेटर

तदर्थ

तदर्थ

रिग ड्रायवर

फास्ट रिग पर 20,000 फुट  
ट्रेनिंग किया अथवा तथा  
अथवा अंग्रेजी भाषा का ज्ञान एवं  
पढ़ाने का ज्ञान एवं माइक्रो-  
मीटर का तथा वॉल्वर  
केनिपर पढ़ने की क्षमता हो।  
एवं आइल के ग्रेडस् जानने  
की क्षमता हो।

तदर्थ

तदर्थ

तदर्थ

हेल्पर

क. आठवीं कक्षा उत्तीर्ण एवं  
चार वर्ष का ट्रेनिंग कार्य  
का अनुभव अथवा फास्ट रिग पर  
हेल्पर ड्रिल पर 10,000  
फुट ट्रेनिंग किया हो एवं  
वॉल्वर केनिपर माइक्रो-  
मीटर पढ़ने की क्षमता तथा  
आइल के ग्रेडस् जानने की  
क्षमता हो।

तदर्थ

तदर्थ

तदर्थ



(1) (2) (3) (4) (5) (6)

ख. हायर सेकण्डरी स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण एवं तीन वर्ष का डिप्लोमा कार्य का अनुभव अथवा 30,000 फुट फास्टर एयर हेमर ड्रिल पर डिप्लोमा किया हो।

पर्सिस्टेंट रिग पायरेटर

1. कार्यपालन यंत्री (मैके.) अध्यक्ष.
2. दो महायुक्त यंत्री (मैके.) सदस्य.

संबंधित मण्डलों के प्रस्तावित पद करने हेतु इनके प्राथमिकता पर्यायपालन यंत्री मैकेनिकल वि. प. म. के अध्यक्ष होंगे।

ग. इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट में ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त एवं दो वर्ष का डिप्लोमा कार्य का अनुभव अथवा 20,000 फुट डिप्लोमा फास्ट रिग पर किया हो।

घ. तीन वर्षीय प्राटोमोबाइल / मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा प्रदान पूर्व 8 माह का डिप्लोमा कार्य का अनुभव हो अथवा 5,000 फुट फास्ट एयर हेमर डिप्लोमा डील से डिप्लोमा किया हो।

हेल्पर

क. चौथी कक्षा उत्तीर्ण एवं पांच वर्ष का डिप्लोमा कार्य का अनुभव अथवा मड रोटररी परक्युशन या केलिपर्स डिप्लोमा मशीन पर / 12,000 फुट डिप्लोमा किया हो।

तद्व

तद्व

तद्व

ख. आठवीं कक्षा पास एवं पांच वर्ष का डिप्लोमा कार्य का अनुभव अथवा 10,000 फुट डिप्लोमा कार्य अनुक्रमिक 'क' में दशमि मशीन पर किया गया।

ग. हायर सेकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं 3 वर्ष का डिप्लोमा कार्य का अनुभव अथवा अनुक्रमिक 'क' में दशमि मशीन पर 6,000 फुट डिप्लोमा किया गया हो।

घ. इन्डस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट से सर्टिफिकेट प्राप्त एवं दो वर्ष का डिप्लोमा कार्य का अनुभव अथवा अनुक्रमिक 'क' में दशमि मशीन पर 4,000 फुट डिप्लोमा किया हो।

तद्व

तद्व

तृतीय श्रेणी तकनीकी प्रकायपालक.

मानचित्रकार

कोई न्यूनतम अर्हता नहीं

मुख्य मानचित्रकार (कार्यालय म. प्र. एवं प्रवीक्षण यंत्री)

1. प्रावीक्षण यंत्री (डिजाइन), अध्यक्ष.
2. कार्यपालन यंत्री (याजना), सदस्य.
3. एकाउन्टर आफिसर, सदस्य.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक मान-चित्रकार	क. 6 साल की सेवा एवं सिविल इंजीनियरिंग में तीन साल का डिप्लोमा प्रयत्न मा. चित्रकार तीन वर्ष का कोर्स. ख. 8 साल सेवा एवं सिविल इंजीनियरिंग में दो साल का डिप्लोमा प्रयत्न प्राय. टी. प्राय. का ट्रेड मटिफिकेट.	मानचित्रकार	1. प्रधीशक यंत्री (डिजाइन), अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य. 3. एकाउन्ट्स प्राफिसर, सदस्य.	संबंधित मण्डलों के अन्तर्गत पद भरने हेतु इसके प्रधीनस्थ कार्यपालन यंत्री मैकेनिशियल वि. प. म. के अध्यक्ष होंगे.	
अनुरोधक	12 वर्ष की सेवा	मानचित्रकार सहायक.	तदंब	तदंब	
तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गिय)					
प्रधीशक (प्रधीक्षण यंत्री कार्यालय)	कोई न्यूनतम नहीं	प्रधीशक (मु. प्र. कार्यालय)	तदंब	तदंब	
2 शीघ्र लेखक (अभ्य)	कोई न्यूनतम नहीं	श्रीअलेखक (विभाग प्रमुख के)	1. प्रधीक्षण यंत्री (डिजाइन), अध्यक्ष. 2. कार्यपालन यंत्री (योजना), सदस्य. 3. एकाउन्ट्स प्राफिसर, सदस्य.		
3 महायक (मुख्य-कार्यालय सहायक (अभ्य) कार्यालय) ✓ नेखापान	कोई न्यूनतम अहंता नहीं. मुर्पासियर बनकं शिप परीक्षा उत्तीर्ण.	प्रधीशक (प्रधीक्षण यंत्री कार्यालय)	तदंब	तदंब	
✓ प्राडिटर/उच्च श्रेणी लिपिक (मुख्य अभि. कार्यालय)	तदंब नेखा पशिक्षण उत्तीर्ण यदि पदान्तर के समय नेखा पशिक्षण उत्तीर्ण नहीं हों तो दो वर्ष के भीतर उक्त पशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है.	नेखापान तदंब	तदंब	तदंब	
निम्न श्रेणी लिपिक (मु.प्र.कार्यालय)	तदंब	प्राडिटर उच्च श्रेणी लिपिक 7 (कार्यालय मुद्रण प्रभियन्ता)	तदंब	तदंब	
✓ प्रथम श्रेणी लिपिक कार्यालय प्रधीक्षण यंत्री एवं कार्यपालन यंत्री.	मुर्पासियर बनकं शिप परीक्षा उत्तीर्ण.	महायक (कार्यालय प्रधीक्षण यंत्री)	तदंब	तदंब	



156

40

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	कार्यालय श्रेणी कार्यालयी कार्यालयी मुख्य प्रभियन्ता.	हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं 8 वर्ष की सेवा.	निम्न श्रेणी लिपिक (कार्यालय म. प्र.)	1. प्राधीक्षण यंत्री (विजापन) मध्यप्र. 2. कार्यालयन यंत्री (वीनया) मध्यप्र. 3. एकाउन्टेन्ट ऑफिसर, प्रमुख	पदोन्नति के माध्यम से बोर्ड से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा प्रत्यावृत्त कर दिया जायेगा.
1	निम्न श्रेणी लिपिक/ बिल क्लर्क/ कार्यालय प्रधीक्षण यंत्री/ कार्यालयन यंत्री एवं सहायक यंत्री).	कोई न्यूनतम प्रहता नहीं	उच्च श्रेणी लिपिक (कमिश्नर प्रधीक्षण यंत्री कार्यालयन यंत्री एवं सहायक यंत्री).	1. कार्यालयन यंत्री (मध्यप्र. मुख्यालय के) मध्यप्र. 2. दो सहायक यंत्री (मध्यप्र. मुख्यालय के) मध्यप्र.	संबन्धित मण्डलों के प्रत्यावृत्त पदों के लिये उनके कार्यालयन यंत्री मध्यप्र रहेगे.
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय प्रधीक्षण यंत्री एवं कार्यालयन यंत्री तथा सहायक यंत्री).	हायर सेकेन्डरी परीक्षा उत्तीर्ण एवं पांच वर्ष की सेवा.	निम्न श्रेणी लिपिक (कार्यालय प्रधीक्षण यंत्री कार्यालयन यंत्री एवं सहायक यंत्री).	सर्व	पदोन्नति के बाव एक वर्ष के भीतर बोर्ड द्वारा ही जाने वाली हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा प्रत्यावृत्त कर दिया जायेगा.
3	स्टोर कीपर (नि. श्रे. लिपिक ग्रेड).	कोई न्यूनतम प्रहता नहीं	स्टोर कीपर/एकाउन्टेन्ट	सर्व	
4	मीटर रोडर	कोई न्यूनतम प्रहता नहीं	मीटर इन्स्पेक्टर	सर्व	

टीप.—मुख्य प्रभियन्ता कार्यालय के सहायक तथा प्रधीक्षण यंत्रों के कार्यालय के सहायक के पद पर पदोन्नति के लिये गुणवत्ता वलकीय परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्तियों को ही विचार किया जाएगा.

Bhopal, the 21st March 1977.

No. 768-5548-XXXV-PHE-I-77.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules, namely :—

#### RULES

1. Short title and Commencement.—(i) These Rules may be called the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service (Conditions of service and Recruitment) Rules, 1976.

(ii) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definition.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Appointing Authority" in respect of the service means the officer, specified in column (6) of Schedule I;

(b) "Committee" means the departmental selection/promotion committee, as referred to in Schedules II and IV;

(c) "Chief Engineer", "Superintending Engineer, Executive Engineer" and "Assistant Engineer" mean the officers of the corresponding categories as in Public Health Engineering Department;

(d) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the service held under rule 11;

(e) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;

(f) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh;

(g) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(h) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of Article 366 of the Constitution of India and are notified as such by Government from time to time;



(i) "Service" means the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service

(j) "State" means the State of Madhya Pradesh.

3. **Scope and Application.**—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of Service.**—The Service shall consist of the following persons, namely :—

- (1) Persons who at the commencement of these rules, are holding sub-statively the posts specified in Schedule I;
- (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay, etc.**—The classification of the Service, the scales of pay attached thereto and the number of posts included in the service and the Appointing Authority therefor shall be in accordance with the provisions contained in Schedule I:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either on permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment.**—(1) Recruitment to the Service after the commencement of these rules, shall be by the following methods, namely :—

- (a) by direct recruitment by competitive examination;
- (b) by promotion of substantive/officiating member of the Service as indicated in Schedule IV;
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf;

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage of the number of duty posts as specified in Schedule II.

(3) Subject to the provisions of these rules the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) if in the opinion of Chief Engineer the Exigencies of the Service so require, the Chief Engineer may, after obtaining permission of the Government in the General Administration Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as the Government may, by order issued in this behalf, prescribe.

7. **Appointment to the Service.**—All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of Eligibility of direct Recruits.**—In order to be eligible to be selected a candidate must satisfy the following conditions, namely :—

(1) **Age.**—

- (a) He must have attained the age as in column (3) of Schedule III and not attained the age of 28 years, the first day of January next following the date of commencement of the selection.
- (b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribes.
- (c) The upper age limit will also be relaxable in respect of a candidate who is or has been an employee of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below.—
  - (i) A candidate who is a temporary or permanent Government servant should not be more than 38 years of age. The above concession will also be admissible to work-charged staff and contingency paid staff and persons employed in Project Implementation Committee;
  - (ii) A candidate who is a retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.



158

- (2) The Selection of candidate for the Service shall be made by the Committee after Interviewing them;
- (3) (a) A competitive examination for recruitment of L.D.C.'s and 25% of the vacancies in the posts of Assistants and Stenographers, shall be held at such intervals as the appointing authority may determine.  
(b) Examinations shall be conducted by the appointing authority in accordance with such orders as the Govt. may from time to time issue.
- (4) (a) 16% and 20% of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.  
(b) 9% of the posts falling under class three Service for direct recruitment shall be reserved for ex-servicemen; Provided that the total number of reserved vacancies shall not at any time exceed 50% of the vacancies.  
(c) In filling the vacancies so reserved, candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (5) Candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled tribes, selected by the Committee for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (4).
- (6) If sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be filled from among other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the next selection/competitive examination:

Provided that the number of vacancies reserved including the aforesaid carried forward vacancies, shall not at any time exceed 45% of the vacancies. In the case of such posts which are filled by method otherwise than by competitive examination, the remaining vacancies which could not be filled by the candidates of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes first occasion, shall be re-advertised for the candidates of Scheduled Caste and Scheduled Tribe exclusively, before they are carried forward in the aforesaid manner.

12. List of Candidates eligible for selection.—(1) The selection committee shall forward to the Government a list of candidates selected by methods other than competitive examination duly arranged in order of merit and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who though not qualified by that standard are declared by the selection Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

(2) The Selection Committee shall forward to the appointment a list of candidates who have qualified in the competitive examination by such standards and as have been determined duly arranged in order of merit and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who though not qualified by that standard, are declared by the Selection Committee to be suitable for appointment in the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(3) Subject to the provision of these rules and of the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, selected candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(4) The inclusion of a candidate's name in the list confers, no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied after enquiry that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

13. Appointment by Promotion.—(1) There shall be constituted a Committee Consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

(2) The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) 16 per cent and 20 per cent of the available vacancies for promotion in those posts, in which the percentage of promotion is 50 per cent or more, shall be reserved for such Government Servant of Schedule Caste & Scheduled Tribes as are eligible for promotion according to the provisions of rule 14.

(4) Procedure for making promotion of Government, Servant, who are members of Schedule Caste and Scheduled Tribes to posts reserved under sub-rule (3) shall be in accordance with such orders as may be issued by the Government in the General Administration Department in this behalf from time to time.

14. Conditions of Eligibility for Promotion.—(1) Subject to the provisions of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such service as has been mentioned in column 3 of Schedule IV in the post/service mentioned in column 2 of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government and are within the zone of consideration.

(2) The field of selection shall ordinarily be limited to five times the number of persons to be included in the select list but if the criteria for promotion to any post is "merit-cum-seniority," the zone of consideration shall be seven times the number of persons to be included in the select list:



**Explanation.**—The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government Service of this State or if any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all Defence Service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

**Explanation.**—The term "Ex-Serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or discharged surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government Service.—

(i) Servicemen released under mustering out concessions.

(ii) Ex-servicemen enrolled for second time and discharged on.—

(a) Completion of short term engagement.

(b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnel of Madras Civil Unit.

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract including short service Regular Commissioned Officers.

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies.

(vi) Ex-Servicemen invalided out of service.

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers.

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-shot wounds.

(e) A person recruited on or after the 1st day of January, 1963 as a whole time cadet Instructor in the National Cadet Corps shall, on release from the National Cadet Corps on the expiry of his initial/extended tenure, be allowed to deduct from his actual age the period of service rendered by him in the National Cadet Corps on production of a certificate to the effect that he had been released from the National Cadet Corps on the expiry of his/initial extended tenure;

Provided that the resultant age does not exceed the age limit prescribed under sub-clause (a) or (b), as the case may be by three years.

(f) Candidates who are admitted to the examination under the age concessions mentioned in item (i) of sub-clause (c) of clause (1) will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after the selection. They will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the application.—

(ii) In no other case, will these limits be relaxed.

(iii) Departmental candidates must obtain previous permission of the Appointing Authority before applying for selection.

(2) **Educational Qualifications.**—He must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III.

(3) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the Chief Engineer.

9. **Disqualification.**—Any Attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the appointing authority to dis-qualify him for his selection.

10. **Finality & Decision of Appointing Authority and Committee.**—In respect of selection, the decision of the appointing Authority shall be final. In respect of eligibility or otherwise of a candidate for selection/examination, decision of the Committee shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued shall be admitted to examination/interview.

11. **Direct Recruitment by Selection/Competitive Examination.**—(1) Selection for recruitment to the Service shall be held at such intervals, as the Appointing Authority, may from time to time, determine.



160 52

Provided that the field may be enlarged to the extent considered necessary by the Committee by mentioning the reason thereof in writing.

15. Preparation of list of suitable candidates.—(1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in rule 14 and are held by the Committee to be suitable for promotion to the service. The list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotions during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserve list containing of 25% of the number of persons included in the said select list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), the selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects with due regard to the seniority.

(3) The names of the persons included in the list shall be arranged in order of seniority in the post(s) referred to in column 2 of Schedule IV at the time of preparation of each select list:

Provided that any junior person, who in the opinion of the Committee, is of an exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

“Explanation.—A person, whose name is included in a select list but who is not promoted during the validity of the list, shall have not claim to seniority over those considered subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.”

(4) The list so prepared shall reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the Service, the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

16. Select List.—(1) The list as finally approved by the Committee shall form the select list for promotion of the members of the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-Gazetted) Service as mentioned in column 3 of Schedule IV.

(2) The select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 15: provided the validity of the select list shall not be extended beyond a total period of 18 months from the date of its preparation:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made by the appointing authority and the Departmental Promotion Committee and the Committee may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

17. Appointment to the service from the select list.—(1) Appointments of the persons included in the list to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such persons appear in the select list:

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the select list or who is not next in order in the select list may be appointed to the Service if the Chief Engineer is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than 3 months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Departmental Promotion Committee before appointment of a person whose name is included in the select list to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in select list and the date of proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the appointing authority is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

18. Probation.—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of 2 years.

19. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

20. Relaxation.—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. Repeal and Saving.—All rules corresponding to these rules in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
BRAHMINSWROOP, Secy.



SCHEDULE—I

(See Rule 5)

S. No.	Name of posts included in Service	No. of posts	Classification	Pay	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Class—III Technical (Executive)</b>					
1.	Sub-Engineer (Select Grade)	.. 15 (Civil)	Non-Gazetted State wide Cadre.	Rs. 375-12½-400-20-500-25-575.	Chief Engineer
2.	Sub-Engineer/Artificer/Store-Keeper/Computer/Section Officer/Electrical Assistant.	1299 (1173) Civil (126) Electrical	do.	Rs. 280-10-350-12½-400-E. B.-20-480.	do.
3.	Driller Engineer	.. .. 9 (Electrical)	do.	do.	do.
4.	Foreman	.. .. 5 do.	do.	do.	do.
5.	Rig Operator	.. .. 15 do.	do.	do.	do.
6.	Assistant Rig Operator	.. .. 15 do.	do.	Rs. 205-5-240-6-270-E. B.-10-350-12½-375.	Chief Engineer/Superintending Engineer.
7.	Work-Assistant/Sub-Artificer	.. .. 4 (Civil)	do.	do.	do.
8.	Surveyor	.. .. 17 (Civil)	do.	do.	do.
9.	Driller	.. .. 24 (Electrical)	do.	Rs. 195-5-240-6-252-EB-6-270-10-330.	do.
10.	Head Draftsman (Office of the Chief Engineer)	.. 1 (Civil)	do.	Rs. 280-10-350-12½-410-EB-20-480+Special Pay Rs. 50.	Chief Engineer
11.	Head Draftsman (Office of the Superintending Engineer).	10 (Civil)	do.	Rs. 280-10-350-12½-400-EB-20-480+S. P. Rs. 50 or Rs. 25.	do.
12.	Draftsman	.. .. 87 (84 Civil) (3 Electrical)	do.	Rs. 280-10-350-12½-400-EB-20-480+Special Pay Rs. 25.	do.
13.	Assistant Draftsman	.. .. 120 (115 Civil) (5 Electrical)	do.	Rs. 205-5-240-6-270-EB-10-350-12½-375.	Chief Engineer Superintending Engineer for posts subordinate to them.
14.	Tracer	.. .. 178 (Civil)	do.	(a) For Higher Secondary passed and experience in sketching Rs.169-185-5-240-EB-6-270-10-300. (b) For others : Rs. 155-2½-160-180-EB-5-240-6-257	Chief Engineer/Superintending Engineer.. do.

161

212

गणेश्वर तारा, प्रति 23 फरवरी 1977

[गणेश्वर तारा]



Class III—(Ministerial) :

1. Superintendent (Head Office)	..	..	3
2. Superintendent (Circle Office)	..	..	10
3. Junior Accounts Officer (will be deputed from Directorate of Treasury Accounts).	2.		
4. Statistical Assistant	..	..	2
5. Assistant/Senior Grade Clerk (Head Office)	..		7
6. Assistant (Head Assistant) (Circle Office)	..		16
7. Stenographer (Head of the Department)	..		2
8. Stenographer (others)	..	..	19
9. Steno Typist	..	..	1
10. Accountant	..	..	6
11. Auditor/U. D. C.	..	..	2/21
12. L. D. C./Typist	..	..	42

CLASS III—MINISTERIAL

1. Steno Typist	..	..	2
2. First Grade Clerk	..	..	153
3. U. D. C.	..	..	238
4. L. D. C.	..	..	646
5. Divisional Accountant	..	..	48

State wide Cadre Rs. 375-12  $\frac{1}{2}$  400-20-500-25-575. Chief Engineer

do. Rs. 280-10-350-12  $\frac{1}{2}$  400-EB-20-480. do.

do. Rs. 350-12  $\frac{1}{2}$  400-20-500-EB-25-600. do.

do. Rs. 280-10-350-12  $\frac{1}{2}$  400-EB-20-480. do.

do. Rs. 246-6-270-10-350-EB-12  $\frac{1}{2}$  400-20-460. do.

do. do. do.

do. Rs. 280-10-350-12  $\frac{1}{2}$  400-EB-20-280. do.

do. do. do.

do. Rs. 169-4-185-5-240-EB-6-270-10-300+Special Pay Rs. 40. do.

do. Rs. 205-5-240-6-270-EB-10-350-12  $\frac{1}{2}$  375. do.

do. Rs. 195-5-240-6-252-EB-6-270-10-330. do.

do. Rs. 169-4-185-5-240-EB-6-270-10-300. do.

Non-State wide Cadre Rs. 169-4-185-5-240-EB-6-270-10-300+Special Pay Rs. 40. Superintending Engineer Executive Engineer.

do. Rs. 195-5-240-6-252-EB-6-270-10-330. Superintending Engineer.

do. do. Superintending Engineer/ Executive Engineer.

do. Rs. 169-4-185-5-240-EB-6-270-10-300. S. E. & E. E.

do. Appointed by Accountant General.

पृष्ठ 4 (पृष्ठ)

मार्गदर्शक कक्षा, प्रति 23 फरवरी 1977

162



(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>III Others :</b>				
Chemist .. .. .	6	Non-State wide Cadre	Rs 246-6-270-10-350-EB-12½-400-20-460.	Chief Engineer
Assistant Chemist (UNICEF) .. .. .	5	do.	Rs. 169-4-185-5-240-EB-6-270-10-300.	Superintending Engineer/ Executive Engineer.
Laboratory Assistant .. .. .	8	do.	do.	do.
Store Keeper (L. D. C. Grade) .. .. .	7	do.	do.	do.
Mechanic/Supervisor .. .. .	25	do.	Rs. 195-5-240-6-252-EB-6-270-10-330.	do.
Storekeeper (U. D. C. Grade Accountant) .. .. .	21	do.	do.	Superintending Engineer
Sub-Inspector .. .. .	5	do.	do.	do.
Meter Inspector .. .. .	2	do.	do.	do.
Sanitary Inspector .. .. .	8	do.	do.	do.
Business Assistant .. .. .	2	do.	Rs. 220-5-240-6-270-10-300-EB-10-350-12½-375.	Chief Engineer.
<u>Electrician/Wireman</u> .. .. .	7	do.	Rs. 155-2½-160-4-180-EB-5-240-6-252.	Superintending Engineer/ Executive Engineer.
Fitter .. .. .	20	do.	do.	do.
Filter Inspector/cum-Chemist .. .. .	1	do.	do.	do.
Mistry .. .. .	2	do.	do.	do.
Shift Driver .. .. .	80	do.	do.	do.
Pump Driver .. .. .	40	do.	do.	do.
Plumbers .. .. .	17	do.	do.	do.
Meter Reader .. .. .	40	do.	Rs. 155-2½-160-4-180-5-230	do.
Meter Mistry .. .. .	4	do.	do.	do.
Meter Fitter .. .. .	3	do.	do.	do.
Filter Fitter .. .. .	4	do.	do.	do.
Filter Operator .. .. .	7	do.	do.	do.

274

950-1530

महाराष्ट्र सरकार, फरिफ 23 फरिफर 1977

पृष्ठ 4 (7)

163



95

1691

23. Pipe Fitter	..	..	..	11	do.	do.	do.
24. Shift Fitter	..	..	..	10	do.	do.	do.
25. Motor Driver/Vehicle Driver	..	..	..	17	do.	do.	do.
26. Truck Driver	..	..	..	15	do.	Rs. 155-21-160-4-180-EB-5-240-6-252	do.
27. Jeep Driver	..	..	..	15	do.	do.	do.
28. Lorry Driver	..	..	..	2	do.	do.	do.
29. Vehicle Driver	..	..	..	..	do.	do.	do.
30. Motor Boat Driver	..	..	..	..	do.	do.	do.
31. Farm Superintendent-cum-Chemist	..	..	..	1	do.	do.	do.
32. Bill Clerk /Cashier	..	..	..	11	do.	Rs. 246-6-270-10-350-EB-121-400-20-460	Chief Engineer.
33. Air Compressor Operator	..	..	..	92	do.	Rs. 169-4-185-5-240-EB-6-270-10-300	Superintending Engineer.
34. Air Compressor Driver	..	..	..	92	do.	Rs. 195-5-240-6-252-EB-6-270-10-330	Executive Engineer.
35. Driller and Blaster	..	..	..	6	do.	do.	do.
36. Explosive Man Driver	..	..	..	6	do.	do.	do.
37. Filter Attendant	..	..	..	47	do.	do.	do.
38. Pump Attendant	..	..	..	50	do.	Rs. 155-21-160-4-180-EB-5-230	do.
39. Welder	..	..	..	5	do.	do.	do.
40. Turner	..	..	..	11	do.	Rs. 155-21-160-4-180-EB-5-240-6-252	do.
					do.	do.	do.

1111 4 (11) 1  
 1111 23 1111 1 117  
 275  
 21

NG



SCHEDULE

See rule 6 (2)

Name of the Department (1)	Name of the Service (1) Class (2) Description of the posts (2)	Number of posts (3)	Percentage of Number of posts to be filled in			Remarks (8)
			By direct recruitment rule 6 (1)(a) (4)	By promotion of members in service rule 6 (1) (b) (5)	By temporary transfer of person from other services rule 6 (1) (c) (6)	
Class III—Technical (Executive)						
Health Engineering Department.	Sub-Engineer (Selection Grade) ..	15	..	Cent percent	..	..
	Sub-Engineer/Artificer Storekeeper/Computer/Section Officer/Electrical Assistant.	1173-126 Civil Mech.	75%	25%	..	..
	Driller Engineer .. .. .	9	75%	..	25%	(1) Superintending Engineer (Design)—Chairman. (2) Executive Engineer (Planning)—Member. (3) Executive Engineer (Design)—Member. 25% posts of Sub-Engineer civil/Mechanical will be filled in by promotion of Work Assistant Survey and Sub-Artificer.
	Foreman .. .. .	5	75%	..	25%	(1) Executive Engineer (Mechanical) Chairman. (2) Assistant Engineer (Mechanical)—Member. 25% of the posts of driller Engineer, foreman (and Rig Operator) will be filled in by temporary transfers of Mechanical Sub-Engineers.
	Rig Operator .. .. .	15	..	100%	..	Do.
	Assistant Rig Operator .. .. .	15	25%	75%	..	Do. 75% of posts of rig operator will be filled in by promotion of Driller, Rig Driver & Helper. The percentage fixed for promotion and direct recruitment may be changed according to ability of qualified candidates.

गुजरात राज्य, फरिफ 23 फरवरी 1977

[ अतिरिक्त ]

165

5



166

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Work Asst./Sub-Artificer	4	100%	..	..	1—Executive Engineer Chairman (on divisional level). 2—Two Assistant Engineers—Members.	
	Surveyor	17	100%	..	..	Do.	
	Driller	24	25%	75%	..	1—Executive Engineer (Mech)—Chairman. 2—Two Assistant Engineers (Mech.) Members.	75% of posts of Driller will be filled in by promotion of Helpers.
	Head Draftsman/ (Office of the Chief Engineer).	1	..	75%	25%	1—Superintending Engineer—Chairman. 2—Two Executive Engineers—Members.	25% posts will be filled in by transfer of Sub-Engineers.
	Head Draftsman (Office of the Superintending Engineer).	10	..	75%	25%	Do.	Do.
	Draftsman	84+3	..	75%	25%	Do.	Do.
	Assistant Draftsman	115+5	85%	15%	..	Do.	Do.
	Tracer	178	100%	..	..	Do.	

Class III—Ministerial (Statewide Cadre)

Superintendent (Head Office Circle Office).	3%10	..	Cent percent	..	1—Superintending Engineer (Design)—Chairman. 2—Executive Engineer (Planning)—Member. 3—Accounts Officer—Member.	The post of Supdt. of Circle offices will be filled in by promotion of Assistants of the office of Chief Engineer and offices of Superintending Engineers. The post of Supdt. of Chief Engineer's office will be filled in by promotion of Supdt. of Circle offices.
---	------	----	--------------	----	---	--

1  
 2  
 3  
 4  
 5  
 6  
 7  
 8  
 9  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100

277



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Junior Accounts Officer	..	2	..	Cent percent	..	..	The posts of Junior Accounts Officers will be filled in by deputation of officials from the Directorate of Treasury & Accounts.
Statistical Assistant	.. ..	2	..	Cent percent	..	..	The post of Statistical Assistant will be filled in by deputation of trained candidates of Directorate of Economics and Statistics.
Assistant (Head Office + Circles)	7+16	25%	75%	..	..	..	The posts of Assistants of Chief Engineer's Office will be filled in by promotion of Accountants; posts of Assistants of Circle Offices will be filled in by promotion of First Grade Clerks of the Circles. Those first grade clerks will be considered who have passed the Superior Clerkship Examination.
Accountant	.. 6	..	..	Cent percent	..	..	The post of Accountant will be filled in by the promotion of Auditor and U. D. C. of the office of the Chief Engineer.
Auditor/U. D. C.	.. 2/21	..	..	do.	..	..	The posts of Auditor and U. D. C. will be filled in by the promotion of U. D. C. of the Office of Chief Engineer.
Stenographer (of Head of the Department)	2	..	..	Cent percent	..	..	..
Stenographer (Others)	15	..	..	..	..	..	..
Stenographer	1	..	..	do.	..	..	..

1691



L. D. C./Typist  
42  
90%  
10%

10% of the posts of L. D. C. will be filled in by promotion of Class IV employees who have passed the Higher Secondary Examination, according to the Memo. of G. A. D. No. 127/782/1 (3)72, dated 6-1-72.

Class III Ministerial : Non-Statewide Cadre

First Grade Clerk .. 153 .. 100%  
1. Executive Engineer—Chairman.  
2. Two Assistant Engineers—Members.  
do. .. 50% posts will be filled in by transfer of U.D.C's (According to seniority).

U. D. C. .. 238 .. 100%  
D. D. C. Accountant .. 48 .. 100% Cent percent  
Will be appointed temporarily by the Accountant General.

Steno Typist .. 2 .. ..  
L. D. C. .. 646 .. 90% .. 10%  
10% will be filled in by promotion of Higher Secondary Examination passed geoms. and orderlies.

Class III.—Others : Non-Statewide Cadre  
Chemist (Laboratory) .. 6 .. Cent percent ..

1. Superintending Engineer for divisions concerned—Chairman.
2. Executive Engineer—Member. (for divisional head, quarter).
3. Chief Chemist

Assistant Chemist (UNICEF) .. 5 .. do. ..  
Laboratory Assistants .. 8 .. do. ..



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Storekeeper (L. D. C. Grade)	..	7	do.	..	..	1. Executive Engineer, - Chairman (for divi- sional head quarter concerned).	
Mechanic/Supervisor	..	25	do.	..	..	2. Two Assistant En- gineer, Chairman (for divisional head quarter concerned).	
Storekeeper/Accountant (U. D. C. Grade).	..	21/1	..	Cent percent	..	do.	50% posts will be filled in by promotion of storekeeper of L. D. C. Grade.
Sub-Inspector	..	5	..	..	Cent percent	..	This post will be filled in by transfer of mechanic/supervisor.
Meter Inspector	..	2	..	Cent percent	..	..	This post will be filled in by promotion of Meter Reader.
Sanitary Inspector	..	3	Cent percent	..	..	1. Executive Engineer -Chairman (for divi- sional head quarter concerned).	
Farm Superintendent and Chemist		1	do.	..	..	2. Two Assistant En- gineers-Members.	
Business Assistant	..	2	do.	..	..	do.	
Electrician/Wireman	..	7	do.	..	..	do.	
Fitter	..	29	do.	..	..	do.	
Filter Inspector- <del>and</del> Chemist	..	1	do.	..	..	do.	
Mistry	..	2	do.	..	..	do.	
Shift Driver	..	80	do.	..	..	do.	
Pump Driver	..	40	do.	..	..	do.	
Plum bers	..	17	do.	..	..	do.	

मंत्रालय द्वारा, फेब्रु 23 दिनांक 1977

[ 11 ] 4 (11)

169



Job Title	Count	Cent Percent	Remarks
Meter Reader	40	7	
Meter Murry	4	..	
Meter Fitter	3	..	
Filter Fitter	4	..	
Filter Operator	7	..	
Pipe Fitter	11	..	
Swift Fitter	10	..	
Motor Driver/Vehicle Driver	17	..	
Truck Driver	15	..	
Jeep Driver	15	..	
Lorry Driver	2	..	
Motor Boat Driver	1	..	
Filter Attendant	47	..	
Pump Attendant	30	..	
Welder	13	..	
Turner	11	..	
Bill Clerk/Cahier	11	..	
Air Compressor Operator	92	..	
Air Compressor Driver	92	..	
Driller and Blaster	6	..	
Explosive Van Driver	9	..	

1 Executive Engineer—  
Chairman (for divisional head quarter concerned).  
2 Assistant Engineer—  
Member.



SCHEDULE III

ET (See rule 8)

Name of Department	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Educational Qualification Prescribed	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>Class III (Technical Executive)</b>					
Public Health Engineering Department.	Sub-Engineer (Civil/Mech. Artificer / Storekeeper Computer/Section Officer Electrical Assistant.	18	28	Three year Diploma in Civil/Mech./Electrical Engineering from an Institution recognised by the State Government and six years experience.	Relaxation in age limit shall be given to the members of scheduled castes/scheduled tribes and ex-serviceman according to Rules.
	Driller Engineer/Foreman	18	28	Three year Diploma in Mechanical/Automobile Engineering from any Institution recognised by the State Government.	
	Rig Operator	18	28	(a) Eight class passed and 8 years experience in drilling, work experience of 80,000 feet of drilling on a fast rig. (b) Matric passed and six year experience in drilling work or experience of 60,000 feet of drilling on a fast rig. (c) Trade certificate of Motor Mechanic, I.C. Engineering or Diesel Mechanic from Industrial Training Institute and 4 years experience in drilling work, or experience of 40,000 feet of drilling on a fast rig. (d) Three years Diploma Holders in Mech./Automobile Engineering and one year experience in drilling or experience of 10,000 feet of drilling on a fast rig.	Relaxation in age limit shall be given on the basis of experience.
	Assistant Rig operator	18	28		
			(a) Eight class passed and four year experience of working on air hammer drill machine or experience of 40,000 feet of drilling and ability to assess the grade of oil and ability to read Vernier Callipers and micrometer. (b) Matric examination passed and three years experience in drilling and experience of 30,000 feet of drilling on a fast rig		

171



172

64

			(c) Must have Trade Certificate of Motor Mechanic, I. C. Engg. or Diesel Mechanic from Industrial Institute and 2 years experience in drilling or experience of 20,000 feet of drilling on a fast rig.	
			(d) Three years Diploma in Mechanical Engineering or Automobile Engineering and 6 months experience in drilling or experience of 5,000 feet of drilling on a fast rig.	
Sub-Overseer/Sub-Artificer	..	18	28	Two years Diploma in Civil/Mechanical/Electrical Engineering or Certificate (from a recognised Institution).
Surveyor	-	18	28	Two years Civil Engineering Diploma from recognised Institution or Trade Certificate of Survey Training Course in a Industrial Training Institute.
Driller	..	18	28	Trade Certificate of Diesel Mechanic of Industrial Training Institute or considerable experience in drilling.
Assistant Draftsman	-	18	28	Diploma in Drawing Overseer, Sub-Overseer course from any Institute recognised by the State Govt. or Diploma in Architect or Draftsmanship Trade Certificate from Industrial Training Institute.
Tracer	-	18	28	Matric passed and elementary and secondary drawing examination passed.
Class III. - Ministerial :				
Statistical Assistant	-	18	28	M.A., M.Sc., in Statistics. .. .. . They will be appointed by the Director of Economics and Statistics.
Assistant	-	18	28	Graduate from any recognised University .. .. .
Stenographer	..	18	28	Higher Secondary examination passed and a Certificate of Shorthand & Typing from the M. P. Board of Shorthand and Typewriting. Relaxation in age limit shall be given to the members of Scheduled Caste/Scheduled Tribes and ex-serviceman according to rules.
Steno-Typist	-	18	28	Higher Secondary examination passed and knowledge of shorthand and a certificate of M. P. Board of type writing.

गणतंत्रिय (११) | भारतीय विद्यापीठ, फेब्रु २३ फेब्रु १९७७ | २८३



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Lower Division Clerk	.. 18	28	Higher Secondary Examination must have passed Hindi Typing Examination from any recognised Board.	Relaxation in age limit shall be given to the member of S.C./S.T. and ex-serviceman according to rules.
Class III—Others :					
	Chemist	.. 18	28	B.Sc., (with Chemistry as a subject) preference will be given to the candidate having experience of water sewage and industrial waste testing.	Do.
	Assistant Chemist	.. 18	28	Must have passed Matric with Chemistry as one of the subject.	Do.
	Laboratory Assistant	.. 18	28	Do.	Do.
	Storekeeper (L. D. C. Grade)	.. 18	28	Higher Secondary Examination passed and experience in account work.	Do.
	Mechanic/Supervisor	.. 18	28	Trade certificate in mechanical trade from Industrial Training Institute.	Do.
	Sanitary Inspector	.. 18	28	Higher Secondary Examination passed and certificate of Sanitary Inspector course.	Do.
	Business Assistant	.. 18	28	B.A., B.Sc., B. Com., and considerable experience in account work.	Do.
	Farm Superintendent	.. 18	28	B.Sc., (Agriculture)	Do.
	Electrician/Wireman	.. 18	28	A certificate in Electrician/Wireman Trade from Industrial Training Institute.	Do.
	Fitter	.. 18	28	A certificate in fitter trade from Industrial Training Institute.	Do.
	Filter Inspector-cum-Chemist	.. 18	28	Do.	Do.
	Mechanic	.. 18	28	Do.	Do.
	Shift Driver	.. 18	28	A certificate of Instrument Mechanic Trade from Industrial Training Institute.	Do.
	Pump Driver	.. 18	28	Do.	Do.
	Plumber	.. 18	28	A certificate of plumber trade from Industrial Institute.	Do.
	Meter Reader	.. 18	28	Higher Secondary Examination passed.	Do.

173



174

NG

✓ Meter Mechanic	..	18	28	Certificate of Fitter Trade from Industrial Training Institute.	Do.
Meter Fitter	..	18	28	Do.	Do.
Filter Fitter	..	18	28	Certificate of Fitter Trade from Industrial Training Institute.	Do.
Filter Operator	..	18	28	Do.	Do.
Pipe/Fitter	..	18	28	Do.	Do.
Shift Fitter	..	18	28	Do.	Do.
Motor Driver /Truck Driver/Jeep Driver / Lorry Driver / Vehicle Driver.		18	28	Must have a Driving licence	Do.
Motor Boat Driver	..	18	28	Must have motor boat driving licence	Do.
Pump Attendant/Filter Attendant		18	28	Trade certificate of Instrument Mechanic from Industrial Institute.	Do.
Welder/Turner	..	18	28	Trade certificate in welder/turner trade from Industrial Institute.	Do.
Bill Clerk/Cashier	..	18	28	Higher Secondary passed and experience in account works.	Do.
Air Compressor Driver	..	18	28	Certificate in Mechanist Trade from Industrial Institute.	Do.
Air Compressor Operator	..	18	28	Do.	Do.
Driller and Blaster	..	18	28	Do.	Do.
Explosive Van Driver	..	18	28	Licence holder of explosive and driving	Do.

174 (1) 1  
285



SCHEDULE -IV.

(See Rule 13).

Name of the Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Minimum period of eligibility for promotion to next higher post.	Name Service or post to which promotion is to be made	Name of members of the Department Promotion Committee (vide Rule 13)	Remarks.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Class III.—Technical Executive :					
Public Health Engineering Department.	Sub-Engineer	.. 12 years (only permanent).	Sub-Engineer Grade).	(Select 1. Superintending Engineer (Design) Chairman. 2. Executive Engineer (Planning)—Member. 3. Accounts Officer—Member.	
	Surveyor / Work Asst./ Sub-Artificer	10 years (Matriculation).	Sub-Engineer/Artificer	do.	
	Assistant Rig Operator..	(a) VIII class passed and 8 years experience in drilling or experience of 80,000 feet of drilling on a fast rig. (b) Matric examination pass and six years experience in drilling or experience of 60,000 feet of drilling on a fast rig. (c) Certificate of Industrial Institute and 4 years experience in drilling or experience of 40,000 feet of drilling. (d) Three years Diploma of Mech. Automobic Engineering and one year experience in drilling or experience of 10,000 feet on fast drilling rig.	Rig Operator	1. Executive Engineer (Mech.)—Chairman. 2. Two Assistant Engineer (Mech.—Members)	For filling in posts in various circles concerned Executive Engineer (Mech.) will be the Chairman of the D. P. C.
	Driller	.. 5 years experience on the post of driller and ability to read Hindi and English and also reading micrometer and vernier callipers and capacity to assess the grades of soil	Assistant Rig Operator..	do.	

175



Rig Driver of [unclear] experience of drilling of 20,000 feet on a fast rig and ability to read and write English and Vernacular (Gujrati) and also reading Vernacular and Micrometer and capacity to assess the grades of oil.

English  
do  
do  
do  
do  
do

Helper

(a) VIII class passed and 4 years experience in drilling or experience of 40,000 feet of drilling on fast air hammer drill and ability to read Vernier calliper and Micrometer and to assess the grade of oil.

(b) Higher Secondary Examination passed and three years experience in drilling or experience of 30,000 feet of drilling on a fast air hammer drill.

(c) Trade Certificate of Industrial Institute and 2 years experience in drilling or experience of 20,000 feet of drilling on a fast rig.

Helper

(d) Three years diploma in Automobile / Mechanical Engineering and 6 months experience in drilling or experience of 5,000 feet of drilling on a fast air hammer rig.

(a) IV class passed and 5 years experience in drilling or experience of 12,000 feet of drilling on a mud rotary percussion or rotary drilling machine.

(b) VIII class passed and five years experience in drilling or drilling on the machines given in (a) above.

do  
do  
do

do  
do  
do

do  
do  
do



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		(c) Higher Secondary passed and three years experience of drilling or experience of 6,000 feet of drilling on the machines given in (a), above.	Do.	Do.	Do.
		(d) Certificate holder of Industrial Training Institute and two years experience in drilling works or experience of 4,000 feet of drilling on the machines given in (a) above.			
Class III.—Technical (Non-Executive) :					
Draftsman	..	No Minimum qualification.	Head Draftsman (Office of the Chief Engineer and Superintending Engineer.)	1. Superintending Engineer (Design)—Chairman. 2. Executive Engineer (Planning)—Member. 3. Accounts Officer—Member.	
Assistant Draftsman	..	(a) Six years service and three years diploma in Civil Engineering or three years course of draftsman.  (b) 8 years service and 2 years diploma in Civil Engineering or Trade Certificate of I. T. I.	Draftsman	..	Do.
Tracer	..	12 years service.	Assistant Draftsman	..	Do.
Class III.—Ministerial :					
Superintendent (Office of the Superintending Engineer).	..	No minimum qualification.	Superintendent (Office of the Chief Engineer).	Do.	
Stenographer (Others) ..		Do.	Stenographer (Head of the Department).		
Assistant (Office of the Chief Engineer) Asstt. (Office of the Superin-		Do.	Superintendent (Office of the Superintending Engineer).		Do.



178

[पुस्तक, मन्त्रालय का कार्यालय, नया दिल्ली, 27/11/1977]

Accountant ..	Superior Clerk ship Examination Passed.	Assistant (Office of the Chief Engineer.)	Do.	
Auditor/U. D. C. (Office of the Chief Engineer)	Must have passed accounts Training Examination if not so on occurrence of promotion, it would be necessary to pass the examination within 2 years.	Accountant (Office of the Chief Engineer.)	Do.	
Lower Division Clerk (Office of the Chief Engineer.)	Do.	Auditor/U. D. C. (Office of the Chief Engineer.)	Do.	
First Grade Clerk (Office of the Superintending Engineer and Executive Engineer.)	Superior Clerk ship examination passed.	Assistant (Office of the Superintending Engineer.)	1. Superintending Engineer (Design)—Chairman. 2. Executive Engineer (Planning)—Member. 3. Accounts Officer—Member.	
Class IV employees (Office of the Chief Engineer.)	Higher Secondary passed and 5 years service.	Lower Division Clerk (Office of the Chief Engineer.)	Do.	After promotion passing in the Hindi Typing Examination conducted by M. P. Board will be compulsory otherwise he will be reverted.
Lower Division Clerk/Bill Clerk (Office of the Superintending Engineer Executive Engineer and Assistant Engineer.)	No minimum qualification.	Upper Division Clerk (Office of the Assistant Engineer.)	1. Executive Engineer (Of Divisional Head Quarter)—Chairman. 2. Two Assistant Engineers—Members.	For the posts in divisions concerned Executive Engineer will be Chairman.
Class IV employees (Office of the Superintending Engineer, Executive Engineer, Assistant Engineer.)	Higher Secondary passed 5 years service.	Lower Division Clerk (Office of the Superintending Engineer, Executive Engineer, Assistant Engineer.)	Do.	After promotion passing in the Hindi Typing Examination conducted by Board within the year will be compulsory otherwise he will be reverted.
L. D. C./Bill Clerk ..	No minimum qualification	Storekeeper / Accountant and Upper Division Clerk.)	Do.	Do.
Store keeper (L. D. C. Grade).	Do.	Storekeeper / Accountant..	Do.	
Meter Reader	Do.	Meter Inspector ..	Do.	

Note.—For promotion to the post of Assistants of Circle Office or Assistants of Chief Engineers' Office cases of candidate who have passed Superior Clerkship Examination will only be considered.

मंत्रालय (4)

मंत्रालय, दिल्ली, दिनांक 23 फरवरी 1977

269



179  
37

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 1981

क्र. 654-1007-संतीय-एक-पी.एन.ई.-81.—भारत को संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक्त द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (संयोजित) सेवा (सेवा की शर्तों तथा शर्तों) नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची तीन के कालम (5) में "मैकेनिक/सुपरवाइजर" से संबंधित प्रविष्टि के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जायं, यथा:—

डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मैकेनिकल, फिटर, टर्नर, मोटर मैकेनिक, आटोमोबाइल मैकेनिक या कंडक्टर ट्रेड सर्टिफिकेट/मैकेनिकल ट्रेड में ट्रेड सर्टिफिकेट प्राप्त उम्मीदवारों को अक्षमता दी जाएगी।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओ. व. नागर, विशेष सचिव.

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 1981

क्र. 655-1007-संतीय-एक-पी.एन.ई.-81.—भारत को संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुकरण में इस विभाग की अधिसूचना क्र. 654-1007-संतीय-एक-पी.एन.ई.-81, दिनांक 24 फरवरी 1981 का संशुद्धि अनुसूची राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
ओ. व. नागर, विशेष सचिव.

Bhopal, the 24th February 1981

No. 654-1007-XXIV-PHE-81.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non-gazetted) Service (Conditions of Service and Recruitment) Rules, 1970, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule III, against the entry relating to "Mechanic/Supervisor" in column (5), for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:—

"Trade certificate in mechanical, fitter, turner, motor mechanic, automobile mechanic or Welder trade from an Industrial Training Institute. Preference shall be given to candidates having Trade Certificate in Mechanical Trade".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
O. V. NAGAR, Spl. Secy.

कृषि विभाग

भोपाल, दिनांक 19 मार्च 1981

क्र. 71-6-63-60-सिंह-3.—उन नियमों का, जिनसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डल अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (अन्वीकृत) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, निम्नलिखित प्राकृतिक उक्त धारा की उपधारा (1) द्वारा वर्णित किये गये अनुसार ऐसे मजसत व्यक्तियों को, जिनके कि उगमें प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्राकृतिक पर "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से पंद्रह दिन की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जायगा।

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्राकृतिक के संरक्ष में किसी व्यक्ति को उगार निम्नलिखित कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया किया जायगा।

प्राकृतिक नियम

1. संशोधन नाम.—ये नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डल (मण्डल अधिनियम) अधिनियम, 1981 कहलायेंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा वर्णित न हो, —

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973);

(ख) "बनान" से अभिप्रेत है मण्डल अधिनियम की धारा 79 में ताकतमय फीस तथा मण्डल फीस समाविष्ट है;

(ग) "वार्धिक आय" से अभिप्रेत है पूर्वकी तीस बर्ष की वास्तव आय;

(घ) "नर्ष" से अभिप्रेत है 1 जनवरी को प्रारंभ होने वाला और आगामी 30 सितम्बर को समाप्त होने वाला नर्ष;

(ङ) उन शर्तों तथा अभिव्यक्तियों का, जो इन नियमों में प्रयोग में लाई गई हैं, और परिभाषित न की गई हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, वही अर्थ होंगा जो कि उनके लिये उक्त अधिनियम में क्रमशः दिया गया है।

3. मण्डल अधिनियम का संशोधन.—मण्डल अधिनियम, अधिनियम के मजसत धाराओं के लिये निम्नानुसार संशोधन होंगे:—

(क) प्रथम बर्ष मण्डल अधिनियम.—इसकी वार्धिक आय मान ताकत राजमें से अधिक है;

(ख) द्वितीय बर्ष मण्डल अधिनियम.—त्रितीय वार्धिक आय तीन बार राजमें से अधिक है किन्तु मान ताकत राजमें से अधिक नहीं है;

NG2



Madhya Pradesh, Bhopal.

Minimum age Limit	Minimum (educational) qualifications & experience for direct recruitment	Period of Probation if any	Whether age limit qualification & experience prescribed for direct recruitment is to be applicable for promotion.	Name of service or post to which promotion/transfer to be made.
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18 yrs.	10th Class pass with Science subject.	..	Only educational qualification is applicable.	Promotion from the person working in the lower post of class IV on the basis of seniority and qualification.
18 yrs.	8th class pass with 3 yrs. experience in W/S.	..	Educational qualification and experience is applicable.	Do
18 yrs.	8th class pass.	..	..	=
18 yrs.	5th class pass with 3 yrs. practical experience.	..	..	=
18 yrs.	5th class pass with 1 yrs. experience in W/S.	..	Only qualification and experience applicable.	Promotion from the person working in the lower post of regular class IV on the basis of Seniority
18 yrs.	..	..	5th class passed and minimum 5 yrs. experience of the lower post.	On the basis of combined seniority of the person working in the scale of pay of Rs. 125-150 of class IV post.
18 yrs.	5th class pass with 3 yrs. experience.	..	..	..
18 yrs.	5th class pass with experience of eyeing.	..	..	..
18 yrs.	8th class pass and 2 yrs. experience.	..	..	..
18 yrs.	5th class pass	..	..	..
18 yrs.	5th class pass.	..	..	..
18 yrs.	5th class pass with experience of operating gas plant	..	..	..
12 yrs	7th class pass	..	..	..
18 yrs	5th class pass	..	..	..
18 yrs	5th class pass	..	..	..

of the scheduled castes and Scheduled Tribes respectively.

separately.

recruited on the post available in that institution by a committee appointed by the principal of the institution concerned.

[By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

A. V. KAVEESHWAR, Spl. Secy.



**लोक स्वास्थ्य विज्ञान विभाग**

भोपाल, दिनांक 12 मंगलवार 1982

क्र. 2813-12/13-वी.सी.ए.ए.ए. 82--मानव संसाधन विभाग के दिनांक 30.09.82 के पत्र संख्या 2813/12/13-वी.सी.ए.ए. 82 के राजपत्र, एतद्वारा, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य विभाग (प्रारंभिक) सेवा की शर्तें तथा भारतीय नियम, 1976 में निम्नलिखित संशोधन कर्तव्य हैं, यथातः—

उन नियमों में,—

संशोधन

(1) अनुपूर्वी—बी म प्रवर्ग—

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मुख्य मानचित्रकार (मुख्य प्रतिपत्ता का कार्यालय)	1	..	75 प्रतिगत	25 प्रतिगत	1-प्रवीक्षण वंती आयता.	25 प्रतिगत पर उप प्रवर्गों में से परमान- द्वय में स्थानांतर द्वारा भरे जावेग.
मुख्य मानचित्रकार (प्रवीक्षण वंती का कार्यालय)	10	..	75 प्रतिगत	25 प्रतिगत	2-बी कायपालन वंती सदस्य.	तदन.
मानचित्रकार	84+3	..	75 प्रतिगत	25 प्रतिगत	..	तदन.
सहायक मानचित्रकार	115+5	..	85 प्रतिगत	15 प्रतिगत	प्रवीक्षण वंती मुख्यश	तदन. मुख्य प्रतिपत्ता का कार्यालय के परी के लिए प्रवीक्षण वंती (डिप्टी) नयन प्रवर्गों के परामर्श द्वारा भरे जावेग. के परी के लिए संव- लित प्रवीक्षण वंती प्रत्यक्ष रहेंगे.

क स्थान पर निम्नलिखित प्रवर्गों का स्थापित की जाय, यथातः—

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
मुख्य मानचित्रकार (मुख्य प्रतिपत्ता का कार्यालय)	1	..	..	75 प्रतिगत	1-प्रवीक्षण वंती आयता.	मुख्य प्रतिपत्ता का कार्यालय के पर के लिए.
मुख्य मानचित्रकार (प्रवीक्षण वंती का कार्यालय)	10	..	..	75 प्रतिगत	2-बी कायपालन वंती सदस्य.	प्रवीक्षण वंती (डिप्टी- इय) नयन प्रवर्गों का परामर्श द्वारा पर में से परी के पर के लिए संवर्गित प्रवी- क्षण वंती प्रत्यक्ष होया.
मानचित्रकार	84+3	..	..	75 प्रतिगत	..	..
सहायक मानचित्रकार	115+5	75 प्रतिगत	25 प्रतिगत	..	..	..

(2) अनुपूर्वी तीन म शीर्ष—

तृतीय श्रेणी (तकनीकी एनजीएनटी) के परामर्श—

(क) प्रवर्ग "सहायक मानचित्रकार" के सामने कालम (5) में विद्यमान प्रवर्गों के स्थान पर निम्नलिखित प्रवर्गों का स्थापित की जाय, यथातः—  
"वास्तु कला में डिप्लोमा या इंस्ट्रुमेंट ड्रॉइंग इंस्टीट्यूट से मिलित या मेकेनिकल इंजीनियरिंग में मानचित्रकार कार्य (एन एनएनएन) प्रमाण पत्र (इंजीनियरिंग) या इंस्ट्रुमेंट कोमिन वर्क बोर्डमन ड्रॉइंग का (3 वर्षीय) मंगल 33 मॉडिफिकेट  
या प्रवर्गों में मॉडिफिकेट."



- (घ) प्रविष्टि "मनुरेखक" के सामने कानन (5) में विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाय, प्रस्तावित:—
1. "इंजिन को एक विभाग के रूप में मोटर मजदूरी उन्नतर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय में उन्नतर माध्यमिक परीक्षा का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड का प्रमाण पत्र, पत्र परमा मध्यप्रदेश टेक्नीकल एजुकेशन बोर्ड की उन्नतर माध्यमिक तकनीकी परीक्षा का प्रमाणपत्र या किसी अन्य मान्यता प्राप्त बोर्ड का समतुल्य प्रमाण पत्र."
- (3) अनुसूची चार में, शीर्ष तृतीय श्रेणी तकनीकी (सहायक) के सामने—
- (क) प्रविष्टि मानचित्रकार के सामने कानन (3) में शब्द "कोई अन्यतर प्रहृतां नहीं" का शेष किया जाय.
- (ख) प्रविष्टि सहायक मानचित्रकार के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाय, प्रस्तावित:—
- (ग) "गांव वनी की सेवा—गाहा उम्मीदवार "अनुसूची—श्रीन" के कानन (5) में प्रविष्टि "सहायक मानचित्रकार" के सामने वणित किये गये अनयार प्रवेक्षित प्रहृतां रखता है."
- (घ) "अन्य के मायले में दस वर्ष की सेवा."
- (ग) प्रविष्टि "अनुरेखक" के सामने कानन (3) में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्थापित की जाय, प्रस्तावित:—
- "10 वर्ष की सेवा."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा प्रादेशानुसार,  
न. ब. सोहनी, सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 1982.

पु. क्र. 2814-4243-चौ तीस-एक-82.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में दस विभाग की ससिभूतना क्र. 2813-4243-चौ तीस-एक-82, दिनांक 12 नवम्बर 1982 का संशेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा प्रादेशानुसार,  
न. ब. सोहनी, सचिव.

Bhopal, the 12th November 1982

No. 2813-4243-XXXIV-1-82.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Department (Non Gazetted) Service (Conditions of Service and Recruitment) Rules, 1976, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

(1) In schedule II, for the entries—

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Head Draftsman (Office of the chief Engineer)	1	..	75 Percent	25 Percent	1. Superintending Engineer. Chairman.	25% posts will be filled in by transfer of Sub-Engineers.
					2. Two Executive Engineers.	
Head Draftsman (Office of the Superintending Engineer)	10	..	75 Percent	25 Percent	..	25% posts will be filled in by transfer of Sub-Engineers.
Draftsman	84-4-3	..	75 Percent	25 Percent	..	25% posts will be filled in by transfer of Sub-Engineers.
Assistant Draftsmen.	115-1-5	..	85 Percent	15 Percent	..	For the posts of C. R. Office Superintending Engineer (Design) will be Chairman of Selection Committee and for the post of Divisional level the S. R. concerned will be the Chairman.



Bhopal, the 31st July 1989

No. F-2 35-XXXIV-L-84.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Public Health Engineering Deptt. (Non-Gazetted) Service (Conditions of Service and Recruitment) Rules, 1977 namely:—

## AMENDMENTS

In the said rules :—

- (1) In Schedule-I, under the heading "Class-III-Others" after S. No. 5 and entries relating thereto the following S. No. and entries relating thereto shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5-A	Handpump Mechanic	1644	do	Rs. 975 -25-1000 -30-1210-40-1450-50-1650.	Executive Engineer

- (2) In Schedule-II, under the heading "Class-III-Others" after the entry Mechanic/Supervisor and entries relating thereto the following entries shall be inserted, namely :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Handpump Mechanic	1644	100%	..	..	..	By Junior Service Selection Board.

- (3) In Schedule-III under the heading "Class-III-Others" after the entry, Mechanic/Supervisor and entries relating thereto the following entries shall be inserted, namely:

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Handpump Mechanic	18 Years	30 Years		Must have passed Higher Secondary or 10+2 Examination and must possess certificate from Industrial Training Institute of having passed two year course in Fitter Trade or Mechanical trade or Motor Mechanic, Tractor Mechanic, Automobile Mechanic, Machinist. Preference shall be given to Fitter Trade.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. C. GUPTA, Principal Secy.



लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग

गोपाल, दिनांक 30 मई 1980

क्र. 2083-1890-पंतीस-एफ-पी. एच. ई.-80.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्य प्रदेश राज्य के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्थापना की चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में भरती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, यथाः—

नियम

- संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.—(1) ये नियम मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्थापना के चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती नियम, 1980 कहलायेंगे.
- ये नियम "मध्य प्रदेश राजपत्र" में इनके प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे.
- प्रयुक्ति.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे.
- पदों की संख्या; वर्गीकरण तथा वेतनमान.—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उनसे संबन्धित वेतनमान, उक्त अनुसूची के कालम (3) से (5) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होगा.
- भरती की पद्धति, आयु सीमा तथा अन्य महत्वात्.—उक्त पदों पर भरती की पद्धति, आयु सीमा, महत्ताये तथा उनसे सम्बद्ध अन्य बातें पुर्यात अनुसूची के कालम (6) से (9) में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार होंगी.
- व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई भी बात प्रारक्षण तथा अन्य रियासतों को, जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों के अन्य विशेष प्रवर्गों के लिये राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित किये जाने हेतु अपेक्षित हो, प्रभावित नहीं करेगी.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
 प्र. कु. पण्ड्या, सचिव.

अनुसूची  
 (नियम 2, 3 तथा 4 देखिये)

अनुक्रमांक	पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती की पद्धति	सीधी भरती के लिये न्यूनतम आयु	सीधी भरती के लिये अपेक्षित शैक्षणिक महत्ताएं	पदोन्नति द्वारा भरती की दशा में वह पद जिससे पदोन्नति की जानी है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	दफतरी	62	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2½ -160-4-164- ग्रेड 8. 10 वि. वेतन.	पदोन्नति द्वारा	..	..	मृत्यु
2	जमादार	1	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2½ -160-4-164	पदोन्नति द्वारा	..	..	मृत्यु
3	भूख	722	चतुर्थ श्रेणी	125-2-145-2½ 150	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष	सीधी कक्षा	..
4	चीफोडार	58	चतुर्थ श्रेणी	125-2-145-2½ 150.	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष	..	..
5	बिल वितरक	9	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2½ 160-4-164.	सीधी-भरती द्वारा	18 वर्ष	प्राथमी कक्षा	..
6	टेलीफोन परिचारक	2	चतुर्थ श्रेणी	125-2-145-2½ 150.	सीधी-भरती द्वारा	18 वर्ष	सीधी कक्षा	..
7	न्यू प्रिन्टर	4	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2½ 160-4-164.	पदोन्नति द्वारा	18 वर्ष	..	मृत्यु



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				रूपये				
8	प्राइल मैन	76	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2] 160-4-164.	सीधी- भरती द्वारा	18 वर्ष		
9	क्लाइन मैन	72	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
10	चाबी वाला (कीमैन)	4	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	..		
11	वाल्म मैन	4	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
12	फार्म मैन	9	चतुर्थ श्रेणी	125-2-145-2]- 150.	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
13	फेनाल सेक्रेटरी	3	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
14	बागवान	26	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2]- 160-4-164.	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
15	मेट	5	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
16	कुली	18	चतुर्थ श्रेणी	125-2-145-2]- 150.	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
17	फिल्टर कुली	11	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
18	घनुक्षण (मन्टेन्स) कुली	6	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
19	क्लीनर	17	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
20	अद्यान कुली	3	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
21	मॉटर क्लीनर	54	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
22	गम्प क्लीनर	7	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
23	विस्फोटक वान क्लीनर	6	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2]- 160-4-164	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
24	जारी क्लीनर	4	चतुर्थ श्रेणी	125-2-145-2]- 150.	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
25	हेल्पर	91	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
26	खल्लासी	6	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
27	गण्डई दरोगा (सेनीटरी दरोगा)	18	चतुर्थ श्रेणी	131-2-145-2]- 160-4-164	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
28	भिस्ती	1	चतुर्थ श्रेणी	125-2-145-2]- 150.	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		
29	हरिजन	137	चतुर्थ श्रेणी	तदव	सीधी भरती द्वारा	18 वर्ष		



78  
186

31

भोपाल, दिनांक 30 मई 1980

क्र. 2084-1890-पी.एच.ई.-80.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के पठ (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समीक्षणा  
क्र. 2083-1890-पी.एच.ई.-80, दिनांक 30 मई 1980 का प्रयोजी अनुवाद राजपत्र के प्राधिकार में एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा प्रादेशानुसार,  
प्र. कु. पण्ड्या, सचिव.

Bhopal, the 30th May 1980

No. 2083-1890-XXXV-I-PIIE-80,—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following rules regulating the method and field of recruitment of Class IV Services on the establishment of the Public Health Engineering Department of the State of Madhya Pradesh, namely :—

Rules.

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Class IV Services on the Establishment of Public Health Engineering Department Recruitment Rules, 1980.  
(2) These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Madhya Pradesh Rajpatra".
2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule annexed to these rules.
3. Number of posts, Classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scales of pay attached there to shall be as specified in columns (3) to (5) of the said Schedule.
4. Method of recruitment, age limit and other qualifications.—The method of recruitment of the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns (6) to (9) of the Schedule aforesaid.
5. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

A. K. PANDYA, Secy.



SCHEDULE

(See rule 2, 3 and 4)

महाराष्ट्र शासन, फरिफ 1 एप्रिल 1980

Serial No.	Name of the Posts	No. of posts	Classification	Scale of pay	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion	Minimum age for direct recruitment	Educational qualification required for direct recruitment	In case of recruitment by promotion post from which promotion to be made
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Daftari	62	Class IV	Rs. 131-2-145-2½-160-4-164-plus Rs. 10 special pay.	By promotion			Peon
2	Jamadar	2	Class IV	Rs. 131-2-145-2½-160-4-164.	Do			Peon
3	Peon	722	Class IV	Rs. 125-2-145-2½-150	Do			Peon
4	Choukidar	58	Class IV	Do.	By direct Recruitment	18 Years	IV Standard	
5	B II Distributor	9	Class IV	Rs. 131-2-145-2½-160-4-164.	Do.	Do		
6	Telephone Attendant	2	Class IV	Rs. 125-2-145-2½-150	Do.	Do.	VIII Standard	
7	Blue Printer	4	Class IV	Rs. 131-2-145-2½-160-4-164	By promotion		IV Standard	
8	Oil man	76	Class IV	Do.				Peon
9	Lineman	72	Class IV	Do.	By direct Recruitment	18 Years		
10	Keyman	46	Class IV	Do.	Do.	Do.		
11	Valveman	4	Class IV	Do.	Do.	Do.		
12	Farman	9	Class IV	Do.	Do.	Do.		
13	Canal Sectral	3	Class IV	Rs. 125-2-145-2½-150	By direct recruitment			
14	Gardener	26	Class IV	Do.	Do.	Do.		
15	Mate	5	Class IV	Rs. 131-2-145-2½-160-4-164.	Do.	Do.		
				Do.	Do.			

187



188

16	Collie .. .. .	48	Class IV	Rs. 125-2-145-2½-150	By direct Recruitment	18 years.	..	..
17	Filter Coolie .. .. .	11	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
18	Maintenance Coolie .. .. .	6	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
19	Cleaner .. .. .	17	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
20	Gardener Coolie .. .. .	3	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
21	Motor Cleaner .. .. .	54	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
22	Pump Cleaner .. .. .	7	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
23	Explosive Van Cleaner .. .. .	6	Class IV	Rs. 125-2-145-2½-160-4 -164.	Do.	Do.	..	..
24	Lorry Cleaner .. .. .	4	Class IV	Rs. 125-2-145-2½-150.	Do.	Do.	..	..
25	Helper .. .. .	93	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
26	Kullasi .. .. .	6	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..
27	Sanitary Daroga .. .. .	18	Class IV	Rs. 131-2-145-2½-160-4 -164.	Do.	Do.	..	..
28	Bhisti .. .. .	1	Class IV	Rs. 125-2-145-2½-150.	Do.	Do.	..	..
29	Harijan .. .. .	137	Class IV	Do.	Do.	Do.	..	..

Part 4 (A)]

पुणे नगरपालिका, पुणे 1 वर्ष 1980



## वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 1980

क्र. 1(ए)-७-८०-अ-ग्यारह.—मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामीणोद्योग अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1972) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाने हुए, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामीणोद्योग बोर्ड, राज्य सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:—

## विनियम

1. ये विनियम मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामीणोद्योग विनियम, 1972 कहलायेंगे।

2. इन विनियमों में, अब तक कि सदस्य से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामीणोद्योग अधिनियम, 1972 (क्रमांक 16 सन् 1972) ;

(ख) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामीणोद्योग बोर्ड ;

(ग) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष ;

(घ) "जिला समिति" से अभिप्रेत है, धारा 12-क की उपधारा (1) के अधीन गठित की गई जिला समिति ;

(ङ) "धारा" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा ;

(च) "सदस्य" से अभिप्रेत है बोर्ड का सदस्य।

3. अध्यक्ष, बोर्ड का कार्य करने हेतु, उगक द्वारा की गई यात्रा के लिये मध्यप्रदेश सरकार के 'क' श्रेणी के कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता पाने का हकदार होगा।

(2) बोर्ड या किसी समिति के सम्मेलन में उपस्थित होने के लिये बोर्ड के सदस्य ऐसी दरों पर दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे जोकि मध्यप्रदेश विधान सभा के किसी सदस्य को मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य पेंशन, भत्ता तथा पेंशन अधिनियम, 1972 (क्रमांक 7 सन् 1973) की धारा 2 की उपधारा (2) के मंड (क) के अधीन वसूले गये नियमों के अधीन अनुज्ञेय है और ये बोर्ड या समिति के किसी सम्मेलन में उपस्थित होने के लिये या बोर्ड का कोई अन्य कार्य करने हेतु की गई यात्रा के लिये मध्यप्रदेश सरकार के 'क' श्रेणी कर्मचारियों को अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता पाने के हकदार होंगे।

4. निम्नलिखित नियम बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को यथावश्यक परिवर्तन सहित उगी प्रकार लागू होंगे नियम प्रकार क्रि त राज्य सरकार की सेवा में तत्काल श्रेणी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को लागू होंगे है, अर्थात्:—

- (1) मध्यप्रदेश विनियम सेवा (सूट्टी) नियम, 1977,
- (2) मध्यप्रदेश विनियम सेवा (आचरण) नियम, 1963;
- (3) मध्यप्रदेश विनियम सर्विस (मेडिकल अटेंडेन्स) रूल, 1956 ;
- (4) यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता मंजूर करने संबंधी नियम।

5. मध्यप्रदेश विनियम सर्विस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) रूल, 1961 तथा मध्यप्रदेश विनियम सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम, 1966 बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को नीचे विनिर्दिष्ट क्रिये भये उपान्तरणों के अधीन रहने हुए यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे, अर्थात्:—

क. मध्यप्रदेश विनियम सर्विस (जनरल कण्डीशन्स आफ सर्विस) रूल, 1961 में,

(एक) नियम 2 में—

(सण्ड) (क) में—"नियुक्त प्राधिकारी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ग्रामीणोद्योग बोर्ड सेवा भती नियम, 1973 के नियम 2 के सण्ड (क) के अर्थ के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारी।

(2) मंड (ग) में,—"सहकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामीणोद्योग बोर्ड।

(3) मंड (ड) में—"पद" से अभिप्रेत है बोर्ड के अधीन पूर्णकालिक नियोजन, किन्तु उ... ऐसा कोई नियोजन सम्मिलित नहीं है जहाँ कर्मचारी को अकार्यक्षमता निधि से भुगतान किया जाता हो।

ख. मध्यप्रदेश विनियम सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में—

(एक) नियम 2 में—

मंड (क) में—नियुक्त प्राधिकारी से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ग्रामीणोद्योग बोर्ड सेवा भती नियम, 1973 के नियम 2 के मंड (क) के अर्थ के अन्तर्गत नियुक्त प्राधिकारी।

NG 2



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
37 Dressor-Orfile-I	Pharmacist Grade-2	1. 5 years	..	At District level
		2. Should have passed Pharmacist training Course.		1. Senior most District Family Welfare Cum-Health Officer— <i>Chairman</i> .
		3. Registration of Pharmacist by the Pharmacy Council.		2. Superintendent District Hospital— <i>Member</i> .
				3. Superintendent T.B. or other subordinate Hospital— <i>Member</i> .
				4. District Malaria Officer— <i>Member</i> .
				5. Administrative Officer— <i>Member</i> .
38 Dresser Grade- 2	Dresser Grade- 2	5 years	..	Do.
39 Peon/wardboy/ Aya/ Khallasi/Mali/Dhobi/ Sweeper (Class-IV)	Dresser Grade- 2	1. 5 years	..	Do.
		2. Should have passed Higher Secondary or High School Examination in 10+2 Education system.		
40 1. Darkroom Assistant (Class IV) 2. X-ray Attendant (Class-IV)	Darkroom Assistant	1. 5 years	..	Do.
		2. Should have passed Higher Secondary/ High School Examination in 10+2 Education System.		
		3. Such Class IV employee who is working in the X-ray Department.		
41 Cleaner (Class-IV)	Driver	1. Should have passed Middle School Examination.	..	Do.
		2. Licence of heavy Vehicle Driver.		
42 Cook/Rasoiya/Khansama (Class IV)	Head Cook	5 years	..	Do.
43 Ward boy/Aya/ Peon (Class -IV)	O. T. Attendant	1. 5 years	..	Do.
		2. Should have passed Middle School Examination.		
44 Peon/ Wardboy	Telephone Attendant	1. 5 years.	..	
		2. Should have passed High School Examination in 10+2 Educational system or Higher Secondary Examination.		



## लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1989

एफ. नं. 2-9-चीत्तीव-1-89.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में लाने हेतु, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की स्थापना के चतुर्थ श्रेणी सेवा भली नियम, 1980 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

## संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में अनुक्रमांक 1 अंतर्गत संबंधित प्रविष्टियों के पूर्व निम्नलिखित अनुक्रमांक और 1 से संबंधित प्रविष्टियाँ अन्तः स्थापित की जाएँ और विद्यमान अनुक्रमांक 1-क के रूप में पुनः क्रमांकित जाएँ ;

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	सुपरवाइजर	3	चतुर्थ श्रेणी	870-20-	पदोन्नति द्वारा			दफ्तरी,
				910-25-1010-				जमादार, ब्लू
				30-1220-40-				प्रिन्टर
				1420				

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1989

एफ. नं. 2-9-चीत्तीव-1-89.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के परन्तु (3) के अन्वय में इस विभाग की अधिसूचना फ. एफ-2-9-चीत्तीव-1-89, दिनांक 21 सितम्बर 1989 का अंशवी अनुवाद राज्यपाल के आदेशानुसार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एच. सी. गुप्ता, प्रमुख सचिव.

Bhopal, the 21st September 1989.

F. No. 2-9-XXXIV-1-89.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following amendment in the Madhya Pradesh Class IV Service on the Establishment of the Public Health Engineering Department Recruitment Rules, 1980, namely :—

## AMENDMENTS

In the Schedule to the said Rules before S. No. 1 and the entries relating thereto the following S. No. and entries shall be inserted and the existing S. No. 1 shall be re-numbered as S. No. 1-A thereof.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Supervisor	3 Class-IV		870-20-910- 25-1010-30- 1220-40-1420	By promo- tion.			Daftri Jamadar Blue Printer

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
S. C. GUPTA, Principal Secy.



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
-----	-----	-----	-----	-----

**Selection Committee for the training of Female Supervisors.**

1. Chief Medical and Health Officer of the Divisional Head Quarter.—*Chairman.*
2. Principal, Health and Family Welfare Training Centre or District Family Welfare and Health Officer of the Head Quarter.—*Member.*
3. District Publ. Health Nurse or Nursing Superintendent or Matron or Principal, Female Health Worker Training Centre.—*Member.*

**Selection Committee for the training of Multipurpose Workers (Male) to be selected from the Class-IV employees.**

1. District Family Welfare and Health Officer (Senior Most)—*Chairman.*
2. District Mass Education and Media Officer.—*Member*
3. Administrative Officer.—*Member.*

**Selection Committee for the training of Non-Medical Assistants.**

Members of the Divisional Promotion Committee, shall be the members of this Committee.

**Selection Committee for the Training of the Ophthalmic Assistants.**

Members of the Divisional Promotion Committee, shall be the Members of this Committee.



## SCHEDULE-V

Classification of posts mentioned in Schedule-I in District and State Cadre for the purposes of Seniority

## LIST OF CADRES WHOSE SENIORITY MAINTAINED AS FOLLOWS

District Level (1)	Divisional Level (2)	State Level (3)
1. Lab. Attendant (Hospital)	1. Multipurpose worker Male and Female	1. Senior Health Educator.
2. Lab. Attendant (Filaria)	2. Multipurpose Supervisor Male and Female.	2. Senior Non-Medical Supervisor.
3. Dresser Gr.-I	3. Operation Theatre Assistant.	3. Senior Lab. Technician.
4. Dresser Gr.-II	4. T. B. Health Visitor Gr.-II.	4. Senior Physiotherapy Technician.
5. Driver.	5. Junior Filaria Inspector.	5. Non-Medical Supervisor.
6. Driver-Cum-Mechanic	6. Insect Collector (Malaria).	6. Health Educator.
7. Head Cook.	7. Insect Collector (Filaria).	7. Lab. Technician.
8. O. T. Attendant	8. Social Worker (Filaria).	8. Physiotherapy Technician.
9. Telephone Attendant.	9. Filaria Health Visitor.	9. Non-Medical Assistant.
10. Dai	10. Pump Mechanic.	10. Optometrist.
11. Tailor.	11. Lab. Assistant (Hospital).	11. Health Educator.
12. Pump Attendant.	12. Lab. Assistant (Filaria).	12. Rehabilitation Assistant.
	13. Pharmacist.	13. T. B. Health Visitor Gr. I.
	14. Storekeeper.	14. Treatment Operator.
	15. Compounder.	15. Assistant Malaria Officer.
	16. Pharmacist Gr.-II.	16. Malaria Inspector.
	17. Radiographer.	17. Senior Filaria Inspector.
	18. Darkroom Assistant.	18. Senior Chemist (Pesticides).
	19. Painter.	19. Junior Chemist (Pesticides).
	20. Assistant Mechanic (Mechanic)	20. Field Pesticides Inspector.
	21. Electrician Gr. II (Electrician)	21. Bio-Chemist.
	22. Welder.	22. Lab. Attendant (Pesticides).
	23. Blacksmith.	23. Senior Radiographer.
	24. Carpenter.	24. Sub-Engineer.
	25. Artist-Cum-Draftsman.	25. Mechanic Gr.-III (Head Mechanic)
	26. Cinema Operator.	26. Electrician Gr.-II (Senior Electrician)
	27. Projectmist/Projectmist-Cum-Mechanic.	27. Health Education Extension Officer.
	28. Electrician Gr. I	28. Senior Sanitarian.
	29. Refrigerator Mechanic.	29. Senior Health Inspector.
		30. Sanitarian.
		31. Senior Sanitarian (Gwalior).
		32. Senior Health Inspector (Gwalior)
		33. Artist-Cum-Photographer.
		34. Community Health Officer.
		35. Health Educator.
		36. Para-Medical Assistant.
		37. Block Extension Educator.
		38. Occupational Therapist.
		39. Medico-Social Worker.
		40. Psycho-Social Worker.
		41. Sample Collector.
		42. Ophthalmic Assistant



184 25

भाग 4 (ग)

अन्तिम नियम

वित्त विभाग

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी, 1981

क्र. एफ. 14(ए)-14-80-नि.-3-चार.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा, प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश राज्यपाल, मध्यप्रदेश कोषालयीन चतुर्थ श्रेणी सेवा में भरती की पद्धति तथा क्षेत्र को विनियमित करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं।  
प्रस्तावित:—

1. संक्षिप्त नाम.—ये नियम मध्यप्रदेश कोषालयीन एवं लेखा चतुर्थ श्रेणी सेवा भरती के नियम, 1980 कहलायेंगे।
2. प्रयुक्ति.—ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लेखित पदों के संबंध में इस सेवा के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे।
3. वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि.—उक्त पदों के वर्गीकरण, उनसे संबद्ध वेतनमान उक्त पदों के लिये भरती की पद्धति, आयु सीमा और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) से (10) में उल्लेखित की जायेंगी।

अनुसूची

(नियम 2 देखिये)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भरती की पद्धति सीधी भरती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त स्थानों की प्रतिशतता	केवल सीधी भरती के लिये			नया पदोन्नति मामले में सीधी भरती के लिये निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हता नागू होनी	पदोन्नति स्थानान्तरण द्वारा भरती के मामले में वह पद फ्रम जिससे पदोन्नति स्थानान्तरण किया जायेगा
					न्यूनतम आयु सीमा	प्रावश्यक शैक्षणिक अर्हता	परिचीक्षा प्रशिक्षण आदि कोई हो की अवधि		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. दफ्तरी	50	चतुर्थ श्रेणी	131—2— 145—2½— 160—4— 164 + प. 10 विशेष वेतन.	पदोन्नति से शतप्रतिशत	..	..	..	..	चररासी के पद से
2. जमादार	1	चतुर्थ श्रेणी	131—2— 145—2½—160 —4—164.	पदोन्नति से शतप्रतिशत	..	..	..	..	चररासी के पद से
3. चररासी	429	चतुर्थ श्रेणी	125—2—145— 2½—150.	सीधी भरती द्वारा शत प्रतिशत	18	5 नों नस्य पास.	एक नय	..	..



No. F. 14(A)-14-80-R-3-IV. —In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules regulating the method and field of recruitment to the Class IV services in the Madhya Pradesh Treasuries and Accounts Department, namely :—

1. **Short Title.**—These rules may be called the Madhya Pradesh Treasuries and Accounts Class IV Services Recruitment Rules, 1980.
2. **Application.**—These rules shall apply to all Class IV posts in the Madhya Pradesh Treasuries & Accounts Department specified in column (1) of the Schedule hereto annexed.
3. **Classification and scales of pay etc.**—The Classification of the said posts, the scales of pay attached thereto, the method of recruitment to the said posts, age limit and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (3) to (10) of the said schedule.

SCHEDULE

(See rule 2)

Name of posts	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	For direct recruitment only			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees	In case of recruitment by promotion transfer from promotion transfer to be made
					Minimum age limit	Educational qualifications required	Period of probation if any		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Daftari	50	Class IV	131—2—145—2½ —160—4—164 plus special pay of Rs. 10/-.	By promotion 100%	..	..	..	..	Peons
Jamadar	1	Class IV	131—2—145—2½ —160—4—164.	By promotion 100%	..	..	..	..	Peons
Peons	429	Class IV	125—2—145—2½ —150.	By direct recruitment	18	V Class passed	One year	..	..

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एल. चौहिया, उपसचिव.

जेल विभाग

Bhopal, the 17th February 1981

No. D. 3247-3-Jail-80.—The State Government hereby makes the following amendment in the Jail Manual, Volume I, 1970 addition, namely :—

Amendment

In the said manual, in appendix III, at page 553, for the words, "Wooden kit Box", the words "Wooden or iron kit box" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
G. P. CHANSORIYA, Dy. Secy.



अनुसूची

(निम्न 2 देखिये)

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वतनमान	भारतों की पद्धति/नाम	केंद्र सीधी भरती के लिये	क्या प्रत्यापन के मामलों में नौशेरी भरती के लिये निर्धारित प्रायः शरत प्रायः शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी	पदे/पदों की संख्या			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
				भारतों की पद्धति/नाम: भारतों द्वारा या पदपद्धति द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पदपद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की प्रतियोगिता	अनुसूचित जातों/अनुसूचित वर्गों के लिये	प्रतिशत परीक्षा यदि कोई हो, तो प्रदर्शित प्रायः शैक्षणिक अर्हताएं लागू होंगी				

दाखल	3	चतुर्थ श्रेणी	रु. 750-12-870-14-940	100 प्रतिशत प्रभृति परीक्षा द्वारा					जाय नहीं होंगी	प्रभृति परीक्षा प्रत्येक श्रेणी के पदों में बरिष्ठता तथा योग्यता के आधार पर की जायेगी.
समाप्त	1	तरीफ								
नया/तरीफ	2	तरीफ		भारतों की पद्धति द्वारा प्रत्येक स्थानान्तरण द्वारा या विभिन्न पदपद्धतियों द्वारा भरे जायेंगे.	मान्य 18 वर्ष से अधिक/पु. जा. जाति उम्मीदवार 18 वर्ष 35 वर्ष	उम्मीदवार 30 वर्ष				
संख्या	151	तरीफ	रु. 725-10-735-15-55-15-900	भारतों की पद्धति/नाम: भारतों द्वारा या स्थानान्तरण द्वारा	तरीफ	तरीफ				
कुल लिपट:	1	तरीफ			तरीफ	तरीफ				



(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, declared by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be, under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them, the remaining vacancies shall be re-advertised twice, for selection to be made by interviews, exclusively for these candidates. If even after re-advertisement, any vacancies remain unfilled, they shall be filled from among the general candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, as the case may be during the subsequent selection:

Provided that the total number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes (including the vacancies carried forward) shall not at any time exceed forty five per cent. of the total vacancies advertised.

(7) Where the condition of experience of a specified period has been included as an essential condition for the posts to be filled up by direct recruitment, and if the Commission feels that adequate number of Scheduled Caste and Scheduled Tribes candidates, with the specified experience, are not likely to be available for filling the reserved posts, the Commission may, relax the condition of experience, in case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates."

2. In rule 12 after sub-rule (4) the following sub-rule shall be added, namely:—

"(5) The select list shall be valid for a period of one year from the date of its issue by the Commission."

By order and in the name of the Governor of  
Madhya Pradesh,

S. K. SARKAR, Addl. Chief Secy.

### योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

मंसाल; दिनांक 31 दिसम्बर 1988.

क्र. 1-57-88-नेईम-आसां.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रवृत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के एतद्द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय में चतुर्थ श्रेणी सेवा में भरती की पदवि नया क्षेत्र को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित बनावत है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम.—ये नियम आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय मध्यप्रदेश के चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम 1988 कहलायेंगे.
2. प्रयुक्ति.—ये नियम इससे संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में उल्लिखित पदों के संबंध में इस सेवा के प्रत्येक वर्गकारी पर लागू होंगे.
3. वर्गीकरण तथा वेतनमान आदि.—उक्त पदों का वर्गीकरण, उनमें सम्बद्ध वेतनमान, उक्त पदों के निम्ने भर्ती की पदवि, आयु सीमा और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) से (10) में उल्लिखित किए जायेंगे.

4. व्यावृत्त.—इन नियमों में की गई कोई भी व्यवस्था अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये, अनुपूर्व गैरियों के लिये, शासकीय सेवक को सेवाकाल में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवार के एक सदस्य की अनुसूचित निवृत्ति के लिये तथा विभागों उम्मीदवारों के लिये राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गये आदेशों के अनुसार उपकथ्य किए जाने हेतु अपेक्षित प्रावधान तथा अन्य बातें प्रभावित नहीं करेंगी.



आक-अवय की पूर्व-अवस्थाओं  
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने  
के लिए अनुमत्त. अनुमति पत्र  
को भोपाल-505/ डब्ल्यू. पी



पंजी क्रमांक भोपाल दिवनीचन  
122 (एम. पी.)

## मध्यप्रदेश राजपत्र

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24 ]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 17 जून 1994—खेष्ठ 27, शके 1916

### भाग ४

#### विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद् में पुरस्कारित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अन्तिम नियम

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

भोपाल, दिनांक 28 मई 1994

क्र. एक.1-15-चौतीस-1-86.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा नियम, 1980 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,—

- नियम 14 के उपनियम (3) में शब्द तथा कोष्ठक "कार्यपालन यंत्री (सिविल या मेकेनिकल) के पद पर पदोन्नति के लिये केवल वे ही सहायक यंत्री पात्र होंगे जिनके पास" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "कार्यपालन यंत्री (सिविल या विद्युत् और यांत्रिकी) के पद पर पदोन्नति के लिए केवल वे ही सहायक यंत्री पात्र होंगे, जो स्नातक उपाधि (डिग्री) के धारक हैं या जिनके पास" स्थापित किए जाएं.



2. विद्यमान अनुसूची के तहत पर नियमित/अनियमित स्थापित की जाए, अर्थात्—

अनुसूची एक  
(निचम 5 देखिए)

पदा में सम्मिलित पदों का नाम (1)	कतब्य पदों की कुल संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतनमान (4)
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------	----------------

मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी  
(संक्रमादेश) सेवा

क. स्वास्थ्य सेवा के कर्तव्य पद

प्रमुख अभियंता	1	वर्ग एक	र. 6100-150-6700
मुख्य अभियंता (सिविल)	3	वर्ग एक	र. 4500-125-5000-150-5300
मुख्य अभियंता (विद्युत और यांत्रिकी)	1	वर्ग एक	र. 4500-125-5000-150-5300
अधीक्षक यंत्री (सिविल)	7	वर्ग एक	र. 3200-100-3500-125-4500
अधीक्षक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	1	वर्ग एक	र. 3200-100-3500-125-4500
डिविजन एक्जाम्प्लर	1	वर्ग एक	र. 3200-100-3500-125-4500
अधीक्षक जल वैज्ञानिक (हाईड्रोक्लियालाइजिस्ट)	1	वर्ग एक	र. 3200-100-3500-125-4500
कार्यपालन यंत्री (सिविल)	15	वर्ग एक	र. 2600-75-2800-100-4200
कार्यपालन यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	1	वर्ग एक	र. 2600-75-2800-100-4200
जल वैज्ञानिक (हाइड्रोक्लियालाइजिस्ट)	1	वर्ग एक	र. 2600-75-2800-100-4200
उपसहायक (आर्थिक एवं सांख्यिकी)	1	वर्ग एक	र. 2600-75-2800-100-4200
सहायक यंत्री (सिविल)	26	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सहायक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	1	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सेवा अधिकारी	2	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
प्रशासनिक अधिकारी	2	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सांख्यिकी अधिकारी	1	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300

ख. कोटक में कर्तव्य पद

अधीक्षक यंत्री (सिविल)	18	वर्ग एक	र. 3200-100-3500-125-4500
अधीक्षक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	3	वर्ग एक	र. 3200-100-3500-125-4500
कार्यपालन यंत्री (सिविल)	71	वर्ग एक	र. 2600-75-2800-100-4200
कार्यपालन यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	11	वर्ग एक	र. 2600-75-2800-100-4200
जल वैज्ञानिक (हाइड्रोक्लियालाइजिस्ट)	5	वर्ग एक	र. 2600-75-2800-100-4200
सहायक यंत्री (सिविल)	306	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सहायक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	67	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
सहायक जियोफिजिस्ट	5	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300
मुख्य रक्षामुख	1	वर्ग दो	र. 1820-60-2300-75-3200-100-3300

ग. प्रतिनियुक्ति के पद कुछ नहीं

घ. अवकाश रिजर्व कुछ नहीं.



200

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	मुख्य रसायनज्ञ सेवा अधिकारी	1 2	100%			संचालनालय, कोबागार या कार्यालय, महालेखनालय, मध्यप्रदेश से प्रतिनिधित्व पर
	प्रशासनिक अधिकारी सहायक डिप्लोमा/डिप्लोमा	2 5		100%		भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण अथवा राज्य शासन के अन्य विभागों से सामान्यतया प्रतिनिधित्व पर विकल्प के रूप में सीधी भर्ती होगी।
	सांख्यिकी अधिकारी	1			100%	मध्यप्रदेश शासन के आर्थिक एवं सांख्यिकीय विभाग से प्रतिनिधित्व पर

अनुसूची-तीन  
(नियम 8 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा तथा फती का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	उच्चतर आयु सीमा	शैक्षणिक वर्धभाए	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा  वर्ष-एक  जन वैज्ञानिक (हायड्रोसिल्टोलाजिस्ट)	21 वर्ष	33 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से भू-गर्भशास्त्र या प्रयुक्त भू-जलशास्त्र में उपाधि या समकक्ष उपाधि या इंजिनियरिंग स्कुल आफ सॉल्ट खनबाद का प्रयुक्त भू-गर्भ शास्त्र में डिप्लोमा, भू-गर्भ शास्त्र या नक्शे बनाने तथा अभिज्ञ होजने के कार्य में 3 वर्ष, जिसमें से 2 वर्ष भू-जल की संभाव्यता के सर्वेक्षण में भू-जल सोजने में व्यतीत किये हों।	सामान्यतः भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण से या राज्य शासन के अन्य विभागों से प्रतिनिधित्व पर लिए जायेंगे और सब उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी।
	जीव वैज्ञानिक	21 वर्ष	30 वर्ष	बी.एस.सी. में जीव विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान के साथ, रसायन शास्त्र में एम.एस.सी.	
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा  वर्ष-दो  सहायक यंत्री (विशेष)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्व- विद्यालय से सिविल इंजी- नियरी में उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि।	



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	सहायक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विज्ञान-विद्यालय से विद्युत/यांत्रिकी इंजीनियरी उपाधि या उसके समकक्ष उपाधि.	
	मुख्य रक्षायनत्र	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विज्ञान-विद्यालय से रक्षायन शास्त्र में एम.एस.सी. की उपाधि (डिग्री)	
	सेवा अधिकारी				संचालन/सहायक या महा-संचालक के रूप/विवेक से प्रति-नियुक्ति पर नियुक्त जावेगा.
	सहायक जल वैज्ञानिक (जियो-टेक्निकल)	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विज्ञान-विद्यालय से जियो-टेक्निकल (यू-बी.टी.) में स्नातकोत्तर उपाधि.	सामान्यतः प्रथम भारतीय यू-विज्ञान संस्थान या राज्य शासन के अन्य विद्यालय से प्रतिनियुक्ति पर लिए जायेंगे और उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं होगी.

अनुसूची-चार  
(नियम 13 देखिये)

विभाग का नाम	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जाना है	आगामी उच्चतर पद पर पदोन्नति हेतु अर्हक होने की न्यूनतम कालावधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जाना है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 13 देखिये)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी सेवा		प्रमुख अभियंता	1. मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन-अध्यक्ष 2. मध्यप्रदेश शासन के बरिष्ठतम सचिव-सदस्य
	मुख्य अभियंता (सिविल)		मुख्य अभियंता (सिविल)	3. सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग-सदस्य.
	मुख्य अभियंता (विद्युत और यांत्रिकी)		मुख्य अभियंता (विद्युत और यांत्रिकी)	4. उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मध्यप्रदेश का प्रभारी-सदस्य-सचिव.
	अधीक्षक यंत्री (सिविल)	5 वर्ष	मुख्य अभियंता (सिविल)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष
	अधीक्षक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	5 वर्ष	मुख्य अभियंता (विद्युत और यांत्रिकी)	2. सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग-सदस्य.
	कार्यपालक यंत्री (सिविल)	5 वर्ष	अधीक्षक यंत्री (सिविल)	1. अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट सदस्य-अध्यक्ष
	कार्यपालक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	5 वर्ष	अधीक्षक यंत्री (विद्युत और यांत्रिकी)	2. सचिव/विशेष सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग-सदस्य.



202 ✓

## MPPSC AE Eligibility Criteria

The candidates applying for the MPPSC AE recruitment must make sure that they fulfill the educational qualification and age limit mentioned below. Failing to adhere to the **MPPSC AE eligibility criteria** will result in the cancellation of the candidature. Hence, candidates should ensure that they are following the norms of MPPSC AE eligibility so as to avoid disqualification in later stages.

- **MPPSC AE Educational Qualification:** The candidates should ensure that they have obtained an engineering degree in Civil/Electrical/Mechanical Engineering from a recognized university to apply for the MPPSC AE 2023 exam.
- **MPPSC AE Age Limit:** The age limit for the MPPSC AE exam is 21 years to 40 years. Age relaxation is applicable to those candidates who belong to the reserved category such as SC/ST/OBC/PWD/Ex-Servicemen. The age limit shall be calculated as on 1 January 2023.
- **MPPSC AE Age Relaxation:** Age relaxation has been increased by 3 years for all categories.

## MPPSC AE 2023 Selection Process

Candidates who successfully apply for the MPPSC AE exam 2023 will be eligible to participate in the selection process. The **MPPSC AE selection process** comprises a written exam and an interview.

